अध्याय-III

नीतिगत परिवेश

2010-11 के दौरान भारत में समष्टि आर्थिक नीति उच्च वास्तविक जीडीपी वृद्धि तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थी। मौद्रिक प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य के भीतर उत्पादक ऋण के माध्यम से वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग क्षेत्र नीति को समष्टि आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप होना पड़ता है। हालांकि विकसित देश अभी भी निम्न आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त में गिरावट का सामना कर रहे हैं और वित्तीय संकट के बाद अपने वित्तीय विनियामक ढांचे को सुधारने में प्रयासरत हैं, लेकिन भारत 2010-11 में सफलतापूर्वक संकट से पूर्व के मार्ग पर लौट आया। तथापि, स्फीतिकारक दबाव, जो आंशिक रूप से उच्च वैश्विक पण्य मूल्यों तथा आंशिक रूप से मांग और आपूर्ति में आंतरिक संरचनात्मक असंतुलनों के कारण हुए, 2010-11 में इतने सहज नहीं थे। इन दबावों के कारण बार-बार मौद्रिक नीतिगत उपाय करने पड़े ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक वृद्धि, जो समेकन की प्रक्रिया के अधीन थी, प्रभावित न हो। वित्तीय उदारीकरण और नवोन्मेष के संबंध में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र नीति हमेशा ही नपीतुली व सतर्कतापूर्ण रहने पर भी अनुरूप रही है। हाल ही के संकट के दौरान भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, यह तथ्य इस नीति की सफलता का प्रमाण है। इसी मार्ग पर चलते हुए, बासेल II फ्रेमवर्क के अधीन उन्नत दृष्टिकोण अपनाते हुए और बासेल III फ्रेमवर्क की ओर बढ़ने को सुविधाजनक बनाते हुए, रिज़र्व बैंक ने नए बैंक लाइसेंस देने, विदेशी बैंकों के प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त करने, बैंकों के लिए होल्डिंग कंपनी संरचना, और क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप प्रारंभ करने के लिए महत्त्वपूर्ण नीतिगत उपाय प्रारंभ किए। बैंकों द्वारा बोर्ड से अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाएं प्रारंभ करना रिज़र्व बैंक की कार्यसूची में वित्तीय समावेशन का कार्य प्रमुख बना रहा।

1. परिचय

3.1 वैश्विक वित्तीय संकट के कारण, पूरे विश्व में बैंकिंग क्षेत्र नीति ने एक नया अर्थ और संगतता प्राप्त कर ली है। अधिकाधिक यह महसूस किया जा रहा है कि विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे बैंकिंग क्षेत्र में चक्र समर्थक गतिविधियों का सामना करने के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाया जा सके। विनियमन की परिधि में अब तक अविनियमित खंड को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि विनियामक आर्बिट्रेज न्यूनतम रखा जा सके। कुछ चुनिंदा देशों में से एक होने के कारण भारत की प्रशंसा की गई है जिसने बैंकिंग क्षेत्र गतिविधियों के प्रति सजग तथा प्रति चक्रीय नीति अपनाई है। उसने विनियामक परिधि को लगातार व्यापक बनाया है ताकि गैर-बैंकिंग इकाइयों को विनियमन के अधीन लाया जा सके। इस अध्याय में बैंकिंग क्षेत्र नीति के विभिन्न खंडों में हुई गतिविधियां प्रस्तुत की गई हैं, और 2010-11[1] के दौरान अपनाई गई विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों पर विशेष बल दिया गया है। बैंकिंग क्षेत्र के अन्य प्रमुख पहलुओं में मौद्रिक नीति, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन, प्रौद्योगिक गतिविधियां, भुगतान तथा निपटान प्रणाली, ग्राहक सेवाएं और बैंकिंग के कानूनी उपबंध शामिल हैं। वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र के अतिरिक्त, इस अध्याय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा वित्तीय बाजारों से संबंधित प्रमुख नीतिगत उपायों पर भी चर्चा की गई है।

[1] इस अध्याय में अप्रैल 2010 से अक्तूबर 2011 तक की अवधि शामिल की गई है।

2. मौद्रिक नीति[2]

मौद्रिक नीति का रुझान और उपाय

3.2 2010-11 में मौद्रिक नीति का रुझान वैश्विक अनिश्चितता के व्यापक संदर्भ में अर्थव्यवस्था में विद्यमान वृद्धि-मुद्रास्फीति डायनेमिक्स के अनुसार था। 2010-11 की पहली छमाही में, मौद्रिक नीति का बल मुद्रास्फीति दबावों को नियंत्रण में रखने के साथ-साथ वैश्विक अनिश्चितता के बीच समुत्थान में बाधाओं से बचना था।

3.3 2010-11 की दूसरी छमाही में, हालांकि वृद्धि समेकित हुई लेकिन देशी और वैश्विक आपूर्ति संबंधी आघातों के कारण दिसंबर 2010 से मुद्रास्फीति में कमी की प्रवृत्ति बदल गई। खाद्येतर विनिर्माण मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि से 2010-11 की दूसरी छमाही में अधिक रही। इसलिए, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने और मुद्रास्फीतिकारक प्रत्याशाओं पर अंकुश लगाने के लिए नीतिगत दरों में वृद्धि की गई। इसकी आवश्यकता भी थी क्योंकि अल्पावधि में कुछ वृद्धि में कमी के बावजूद दीर्घावधि वृद्धि को सुनिश्चित करना आवश्यक था।

3.4 चूंकि 2011-12 में भी रिज़र्व बैंक की आशा की तुलना में, मुद्रास्फीति उच्च बनी रही, इसलिए इस अवधि में स्फीतिरोधक रुझान जारी रहा। संकट के कारण अपनाई गई विस्तारात्मक नीति रुझान को छोड़ने के बाद रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दर (रिपो दर) में 13 बार वृद्धि करके 375 आधार अंकों की वृद्धि की। मार्च 2011 तक नीतिगत दर में आठ बार वृद्धि करके 200 आधार अंकों की वृद्धि की गई। 2011-12 में अब तक (25 अक्तूबर 2011 तक) इसमें पांच बार वृद्धि करके 175 आधार अंकों की वृद्धि की गई। अक्तूबर 2009 से 525 आधार अंकों की प्रभावी वृद्धि की गई जिससे सिस्टम में चलनिधि अधिशेषों के बजाय कम हो गई। सीआरआर में भी 100 आधार अंकों की वृद्धि की गई।

मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया में परिवर्तन

3.5 आपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ मोनेटरी पालिसी पर कार्यदल की रिपोर्ट के आधार पर (अध्यक्षः श्री दीपक मोहंती), रिज़र्व बैंक ने मई 2011 से मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया में कई परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के अनुसार, भारित औसत एक दिवसीय मांग मुद्रा दर को मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य बनाया गया। इसके अतिरिक्त, रिवर्स रेपो दर को रेपो दर से 100 आधार अंक नीचे रखते हुए, रेपो दर को एकल नीति दर बनाया गया ताकि मौद्रिक नीति के रुझान का सही रूप से संकेत दिया जा सके। एक नई एमएसएफ भी स्थापित की गई जिसके अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंक वांछित एसएलआर में से अपने एनडीएलटी के एक प्रतिशत तक एक दिन के लिए उधार ले सकते थे। एमएसएफ दर रेपो दर से 100 आधार अंक अधिक है और रिवर्स रेपो दर को निम्नतर सीमा सहित नीति दर कोरीडोर को उच्चतर सीमा देती है। बेहतर चलनिधि प्रबंधन और प्रभावी मौद्रिक संचार के लिए ये परिवर्तन आवश्यक समझे गए।

बचत बैंक जमाराशि दर का अविनियमन

3.6 1990 के दशक के प्रारंभ से, विनियमन की प्रक्रिया मजबूत होने से एकमात्र रुपया ब्याज दर जो विनियमित हुई है, वह है बचत राशि ब्याज दर। बचत दर के अविनियमन के लाभ और हानियां दिखलाने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक चर्चा पत्र तैयार किया है जो जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिए अप्रैल 2011 में रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर रखा गया। चर्चा पत्र से स्टेकधारकों से कई प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए। गुण-दोषों का अध्ययन करने के बाद, रिज़र्व बैंक ने 25 अक्तूबर, 2011 को जारी 2011-12 की दूसरी तिमाही समीक्षा में बचत बैंक ब्याज दर को अविनियमित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन बैंक अपनी बचत बैंक जमाराशि ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं:

- 1 लाख रुपए तक की बचत बैंक जमाराशियों पर प्रत्येक बैंक एकसमान ब्याज दर देगा, चाहे इस सीमा के भीतर जमाराशि कुछ भी हो।
- 1 लाख रुपये से अधिक की बचत बैंक जमाराशियों पर, यदि बैंक चाहे तो विभेदक ब्याज दरें दे सकता है। तथापि, एक ही

[2] इस खंड में मौद्रिक नीति गतिविधियों पर संक्षेप में चर्चा की गई है क्योंकि उन पर रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 में विस्तार से चर्चा की गई है।

राशि वाली जमाराशियों पर ग्राहकों के बीच ब्याज दर के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

3. ऋण वितरण

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण

3.7 फरवरी 2011 में रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया कि स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर व्यक्तियों को या अन्य इकाइयों को उधार देने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को स्वीकृत ऋण कृषि ऋण के रूप में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अधीन वर्गीकृत नहीं किए जा सकेंगे। इसी प्रकार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रारंभ की गई प्रतिभूत आस्तियों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश, जहां निहित आस्तियां स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण हैं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से स्वर्ण लोन पोर्टफोलियो का क्रय/समनुदेशन हैं, भी कृषि क्षेत्र अधीन वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार नीति - कृषि को उधार

3.8 सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में ब्याज सहायता की योजना 2006-07 से लागू है। 2009-10 में, 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक उत्पादन ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता उपलब्ध कराई गई जिससे सुनिश्चित हो कि किसानों को 7 प्रतिशत वार्षिक के आधार स्तर पर ऋण उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 1 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता उन किसानों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जो ऐसे ऋणों के वितरण के एक वर्ष के भीतर अपना ऋण चुकाने में मुस्तैद थे जिससे ऐसे किसानों के लिए प्रभावी दर और भी कम हो कर 6 प्रतिशत रह गई। 2010-11 में ब्याज सहायता कम करके 1.5 प्रतिशत कर दी गई है तथा मुस्तैदी से चुकौती करने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त ब्याज सहायता बढ़ा कर 2 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, 2011-12 के केन्द्रीय बजट में, वित्त मंत्री ने मुस्तैदी से चुकौती करने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त ब्याज सहायता बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव किया जिससे ऐसे किसानों के लिए प्रभावी दर 4 प्रतिशत रह गई।

माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण-माइक्रो उद्यमों के लिए ऋण का लक्ष्य

3.9 भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय कार्यबल की सिफारिशों के अनुसरण में (अध्यक्षः श्री टी.के.ए. नायर), अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 29 जून 2010 को सूचित किया गया है कि वे अति छोटे उद्यमों को एमएसई अग्रिमों का 60 प्रतिशत आवंटित करें। यह लक्ष्य तीन चरणों में प्राप्त किया जाएगा अर्थात 2010-11 में 50 प्रतिशत, 2011-12 में 55 प्रतिशत और 2012-13 में 60 प्रतिशत और इसके साथ अति छोटे उद्यम खातों में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो और अति छोटे तथा छोटे उद्यमों को उधार में 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो। अर्ध वार्षिक आधार पर (मार्च तथा सितंबर) बैंकों द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में सूचना तथा निकट से निगरानी करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक फार्मेट भी तैयार किया है। जून 2011 को समाप्त तिमाही से, यह निगरानी तिमाही आधार पर की जा रही है। कार्यबल द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न करने वाले बैंकों के साथ रिज़र्व बैंक ने यह मामला उठाया है।

अति छोटे तथा छोटे उद्यमों के लिए ऋण हेतु ऋण गारंटी (सीजीटीएमएसई)

3.10 सीजीटीएमएसई की ऋण गारंटी योजना की समीक्षा करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2010 में गठित कार्यदल (अध्यक्षः श्री वी.के. शर्मा) की सिफारिशों के आधार पर, एमएसई क्षेत्र को कोलेटरल मुक्त ऋणों के लिए सीमा बढ़ा कर 10 लाख रुपए कर दी गई है और बैंकों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि कोलेटरल मुक्त उधार के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करें, शाखा स्तर पर कार्यपालकों को ऋण गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके आकलन में उनके निष्पादन को एक मानदंड बनाए। कार्यदल ने गारंटी कवर की सीमा बढ़ाने,

कुछ शर्तों के अधीन सीजीटीएमएसई द्वारा 10 लाख रुपये तक के कोलेटरल मुक्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क एब्ज़ार्व करने, सीजीटीएमएसई को दावे प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के बारे में भी सिफारिशें की हैं। कार्यान्वित करने के लिए ये सिफारिशें सीजीटीएमएसई को भेज दी गई हैं।

आवासीय ऋण

3.11 मध्यम तथा निम्न आय वर्गों के लिए आवास उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए 2009-10 के केन्द्रीय बजट में 10 लाख रुपए तक के वैयक्तिक आवासीय ऋणों के लिए 1 प्रतिशत ब्याज सहायता की घोषणा की गई थी बशर्ते कि यूनिट की लागत 20 लाख रुपए से अधिक न हो। यह योजना प्रारंभ में 1 अक्तूबर 2009 से 30 सितंबर 2010 तक एक वर्ष की अवधि के लिए लागू थी। इस प्रयोजन के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया गया था। 2010-11 के लिए केन्द्रीय बजट में योजना के विस्तार की घोषणा की गई और 2010-11 के लिए योजना के अधीन 700 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। 2011-12 के केन्द्रीय बजट के अनुसार, वर्तमान योजना को उदार बना कर 15 लाख रुपए तक आवासीय ऋण के लिए कर दिया गया है, जहां पहले की क्रमशः 10 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की सीमा की तुलना में आवास की लागत 25 लाख रुपए से अधिक न हो। यह योजना अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक संपर्क एजेंसी के रूप में कार्य करता है। पात्र ऋणों की मंजूरी और वितरण के बाद, अनुसूचित वाणिज्य बैंक मासिक आधार पर रिज़र्व बैंक से सहायता की प्रतिपूर्ति का दावा करते हैं। योजना के संबंध में उदारीकरण के आवश्यक अनुदेश रिज़र्व बैंक द्वारा 21 अप्रैल 2011 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किए गए हैं।

एमएफआई को ऋण

3.12 आंध्र प्रदेश में माइक्रो फाइनेन्स क्षेत्र को लेकर हुई चिंता के बाद, एमएफआई के रूप में कार्य कर रही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कुछ और कड़ा विनियमन करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की एक उप समिति (अध्यक्षः श्री वाई.एच.मालेगाम) एमएफआई क्षेत्र में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2011 में प्रस्तुत कर दी है जिसे पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है। समिति ने अन्य बातों के साथ, ये सिफारिशें की हैं: (i) एनबीएफसी-एमएफआई की एक अलग श्रेणी बनाना; (ii) वैयक्तिक ऋणों पर मार्जिन की अधिकतम सीमा और ब्याज दर की अधिकतम सीमा; (iii) ब्याज दरों में पारदर्शिता (iv) वैयक्तिक उधारकर्ताओं को दो से अनधिक एमएफआई द्वारा उधार (v) एक या अधिक क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो की स्थापना; (vi) एमएफआई द्वारा शिकायतों के निपटान के लिए यथोचित प्रणाली स्थापित करना; (vii) एक या अधिक ''सोशल कैपिटल फंड'' बनाना; तथा (viii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन एमएफआई को बैंक ऋण की श्रेणी जारी रखना और एनबीएफसी - एमएफआई के लिए निर्धारित विनियमन का अनुपालन करना।

3.13 समिति की सिफारिशों पर सभी स्टेकधारकों से चर्चा की गई, और प्राप्त फीडबैक के आधार पर समिति द्वारा सिफारिश किए गए फ्रेमवर्क को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, 3 मई 2011 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है किः

1. 1 अप्रैल 2011 को या उसके बाद व्यक्तियों को देने के लिए तथा एसएचजीएस/ जेएलजीएस को देने के लिए एमएफआई को दिए गए बैंक ऋण संबंधित श्रेणी के अधीन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम समझा जाएगा अर्थात् कृषि, अति छोटे तथा छोटे उद्यम तथा माइक्रो ऋण (अन्य प्रयोजनों के लिए), अप्रत्यक्ष वित्त बशर्ते:

   क) एमएफआई द्वारा दिए गए कम से कम 75 प्रतिशत समग्र ऋण आय सृजन गतिविधियों के लिए दिए जाते हैं;

   ख) एमएफआई की कुल आस्तियों (नकदी, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के पास शेष राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों को छोड़कर) का कम से कम 85 प्रतिशत ''अर्हक आस्तियों'' के रूप में है। ''अर्हक आस्ति'' को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने

होंगेः (i) ऋण उसको दिया जाए जिसकी ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक न हो, जबकि गैर-ग्रामीण क्षेत्रों में यह 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए; (ii) पहले चक्र में ऋण 35,000 रुपये से अधिक और बाद के चक्रों में 50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए; (iii) उधारग्राही की कुल ऋणग्रस्तता 50,000/- रुपये से अधिक नहीं है; (iv) ऋण की अवधि 24 महीने से कम नहीं है जब बिना किसी दंड के उधारकर्ता के पूर्व भुगतान के अधिकार सहित ऋण 15,000/- रुपये से अधिक हैं; (v) ऋण बिना कोलेटरल के है; (vi) उधारग्राही के विकल्प पर ऋण की चुकौती साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किस्तों में है।

ग) बैंक यह सुनिश्चित करें कि एमएफआई मार्जिन तथा ब्याज दरों तथा अन्य मूल्यन दिशानिर्देशों के संबंध में निम्नलिखित सीमाओं का पालन करते हैंः (i) सभी एमएफआई के लिए मार्जिन कैप 12 प्रतिशत पर; (ii) ब्याज लागत की गणना बकाया उधार के औसत पाक्षिक शेष पर की जाएगी और ब्याज आय की गणना अर्हक आस्तियों के बकाया ऋण पोर्टफोलियो के औसत पाक्षिक शेष पर की जाएगी; (iii) 26 प्रतिशत वार्षिक पर वैयक्तिक ऋणों पर ब्याज की गणना घटते शेष के आधार पर की जाएगी; (iv) ऋणों के मूल्यन में केवल तीन घटक शामिल किए जाएंगे अर्थात प्रोसेसिंग शुल्क जो कुल ऋण राशि के 1 प्रतिशत से अधिक न हो; ब्याज प्रभार; और बीमा प्रीमियम; (v) प्रोसेसिंग शुल्क मार्जिन सीमा या 26 प्रतिशत की ब्याज सीमा में शामिल नहीं होगा; (vi) बीमा की वास्तविक लागत अर्थात उधारग्राही तथा उसकी पत्नी/पति के लिए जीवन, स्वास्थ्य तथा पशुधन के लिए समूह बीमा के लिए ली जा सकती है और प्रशासनिक प्रभार आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार लिए जाने चाहिए; (vii) विलंब से भुगतान के लिए कोई दंड नहीं होना चाहिए; (viii) उधारग्राही से कोई प्रतिभूति/मार्जिन नहीं लिया जाएगा।

घ) प्रत्येक तिमाही के अंत में बैंक एमएफआई से सनदी लेखाकार का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख होगा कि उपर्युक्त तीनों शर्तों का पालन किया गया है।

2. एमएफआई को बैंक ऋण, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करते और अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक ऋण को 1 अप्रैल 2011 से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण नहीं माना जाएगा। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अधीन वर्गीकृत 1 अप्रैल 2011 से पहले दिए गए ऋण ऐसे ऋणों की परिपक्वता तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ही माने जाएंगे।

कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना, 2008 की प्रगति

3.14 कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना 2008 के संबंध में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी अनुसूची के अनुसार, सारणी III.1 के अनुसार उधारदाता संस्थाओं को क्रमिक तरीके से क्षतिपूर्ति की गई थी। भारत सरकार ने पहली और दूसरी किश्त के रूप में 40,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें से 28,000 करोड़ रुपये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों को प्रतिपूर्ति करने के लिए नाबार्ड को अंतरित किए गए। शेष 12,000 करोड़ रुपये अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिपूर्ति करने के लिए आबंटित किए गए हैं। 11340.47 करोड़ रुपये की तीसरी किश्त भारत सरकार द्वारा जनवरी 2011 में जारी की गई जिसमें से 1240.12 करोड़ रुपये की राशि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों को प्रतिपूर्ति करने के लिए नाबार्ड को जारी की गई और 10,100.35 करोड़ रुपये की शेष राशि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रयुक्त की गई है।

4. वित्तीय समावेशन

3.15 वित्तीय समावेशन को भारत में बैंकिंग क्षेत्र नीति का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। रिज़र्व बैंक कई रणनीतियों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ा रहा है। इनमें विनियामक दिशानिर्देशों में छूट देना, नवोन्मेषी उत्पाद उपलब्ध कराना, अर्थक्षम तथा स्केलयोग्य वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए अन्य सहायक उपाय करना शामिल है। 2010-11 में भी, रिज़र्व बैंक ने देश के दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में नीतिगत पहल जारी रखी।

ग्रामीण बैंक सुविधारहित केंद्रों पर शाखाएं खोलना अनिवार्य

3.16 ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं में और वृद्धि करने के लिए, कारोबारी प्रतिनिधियों के साथ-साथ परिसर युक्त शाखाएं खोलने की आवश्यकता है। तदनुसार, बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वे वर्ष के दौरान खोली जानेवाली शाखाओं में से कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक सुविधारहित ग्रामीण केंद्रों में खोलें। इसके अतिरिक्त, अक्तूबर, 2011 में टियर 2 केंद्रों (2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या) पर बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना इन केंद्रों पर शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाए, परंतु इसकी सूचना देनी होगी। टियर 1 केंद्रों पर (2001 की जनगणना के अनुसार 1,00,000 तथा उससे अधिक जनसंख्या) शाखाएं खोलने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति लेनी होगी। ऐसा प्राधिकार देते समय, रिज़र्व बैंक, अन्य बातों के साथ साथ, यह भी ध्यान में रखेगा कि वर्ष के दौरान खोली जाने वाली कुल शाखाओं में से क्या कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक सुविधारहित ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने का प्रस्ताव है।

केवाईसी मानकों में छूट

3.17 बैंक खाते खोलने के लिए केवाईसी आवश्यकताओं में छोटे खातों के लिए अगस्त 2005 में छूट दी गई थी। कार्यविधियों में सरलता लाते हुए यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि जिस खाताधारक ने केवाईसी आवश्यकता पूरी कर ली है, उसके द्वारा परिचय कराने और बैंक की संतुष्टि के लिए ग्राहक पहचान और पते का प्रमाण देना ऐसे खाते खोलने के लिए पर्याप्त होगा। 2010-11 में, 27 जनवरी 2011 के परिपत्र के द्वारा केवाईसी मानदंडों में और छूट दी गई है जिससे छोटी राशि के बैंक खाते खोलने के लिए एनआरईजीए के अधीन जारी किए गए जाब कार्ड (राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित) या नाम, पता और आधार संख्या वाले यूआईडी द्वारा जारी पत्र भी स्वीकार किए जा सकते हैं। 28 सितंबर 2011 के परिपत्र के द्वारा इसमें और छूट देते हुए इसे सभी खातों पर लागू कर दिया गया है।

कारोबारी प्रतिनिधि की परिभाषा को व्यापक बनाना

3.18 2006 से, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बीएफ और बीसी को मध्यस्थों के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी है। बीसी के रूप में पात्र व्यक्तियों/इकाइयों की सूची में समय-समय पर विस्तार किया गया है। 2010-11 में, वित्तीय तथा बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कंपनियों के बड़े तथा व्यापक नेटवर्क का उपयोग करने के लिए पहले अनुमति दी गई

सारणी III.1 कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना के अंतर्गत क्षति-पूर्ति

(राशि करोड़ रुपए में)

ऋणदात्री संस्थाएं	प्रस्तावित संवितरण**			
	पहली किस्त	दूसरी किस्त	तीसरी किस्त	चौथी किस्त
	सितंबर 2008	जुलाई 2009	जुलाई 2010	जुलाई 2011
आरआरबी एवं सहकारी संस्थाएं	17,500	10,500	2,800	शेष राशि , यदि कोई हो,
एससीबी, यूसीबी और एलएबी	7,500	4,500	9,200	शेष राशि , यदि कोई हो,
कुल	**25,000**	**15,000**	**12,000**	**शेष राशि , यदि कोई हो,**

** वर्तमान अनंतिम अनुमान पर आधारित।

संस्थाओं के अतिरिक्त, 'फार प्रौफिट' कंपनियों को भी बैंकों के कारोबारी प्रतिनिधि मध्यस्थों के रूप में नियुक्ति करने के लिए अनुमति दी गई।

नवोन्मेषी तथा सरल उत्पाद प्रारंभ करना

3.19 निर्धन व्यक्तियों के लिए समय पर और बाधारहित ऋण प्राप्त करना बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। इसको ध्यान में रखते हुए, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे नो-फ्रिल्स खातों में छोटी-छोटी राशियों का ओवरड्राफ्ट दे जिससे आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्राहक बिना कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ दिए छोटी - छोटी राशियों का ऋण प्राप्त कर सकें।

बैंकिंग सेवाओं के लिए रोडमैप

3.20 देश के सभी भागों में बैंकिंग सुविधाओं की एकसमान प्रगति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बैंकों को सूचित किया गया कि वे परिसरयुक्त शाखा या कारोबारी प्रतिनिधि सहित आईसीटी आधारित किसी माडल के माध्यम से 2000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक सुविधारहित प्रत्येक गांव में बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए योजनाएं तैयार करें। बजट में की गई घोषणाओं के अनुरूप, 16 सितंबर 2010 के परिपत्र के द्वारा योजना तैयार करने की तारीख मार्च 2012 तक बढ़ा दी गई। बैंक सुविधारहित लगभग 72,800 ऐसे गांवों की पहचान कर ली गई हैं और उन्हें राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से विभिन्न बैंकों को आबंटित किया गया।

वित्तीय समावेशन योजनाओं में प्रगति

3.21 जनवरी 2010 में, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) तैयार करें और उसे मार्च 2010 तक रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। इन बैंकों ने मार्च 2011, 2012 और 2013 के लिए अपने लक्ष्य तैयार किए और उन्हें प्रस्तुत किया। इन योजनाओं में मोटे तौर पर खोली जाने वाली परिसर वाली ग्रामीण शाखाएं, नियोजित किए जाने वाले कारोबारी प्रतिनिधि; शाखाओं/कारोबारी प्रतिनिधियों/अन्य माध्यमों से 2000 से अधिक तथा 2000 से कम आबादी वाले बैंक सुविधा रहित गांवों को कवर करना, बीसी-आईसीटी के माध्यम से खोले गए खातों सहित नो-फ्रिल्स खाते, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) तथा जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी); तथा वित्तीय सेवाओं से वंचित खंडों के लिए उनके द्वारा तैयार विशिष्ट उत्पाद शामिल हैं। बैंकों को सूचित किया गया कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित एफआईपी को अपनी कारोबारी योजनाओं से समन्वित करें तथा अपने स्टाफ के निष्पादन के आकलन में वित्तीय समावेशन को एक मानदंड के रूप में शामिल कर लें। इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर रिज़र्व बैंक द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

3.22 2010-11 के दौरान एफआईपी के कार्यान्वयन में बैंकों की प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य में त्वरित प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए रिज़र्व बैंक बैंकों के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ प्रत्यक्ष समीक्षा बैठकें करता रहा है। मई-जून 2011 में चर्चा के दौरान उभरकर आए कुछ कार्रवाई बिन्दु निम्नानुसार हैं :

- बैंक अपने डिलीवरी माडलों की समीक्षा करेंगे ताकि वित्तीय समावेशन से उनका कारोबार लाभप्रद हो।
- 2000 से अधिक आबादी वाली गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त वे 2000 से कम आबादी वाले आसपास के गांवों में भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
- भविष्य में, बैंकिंग सुविधा रहित गांवों में परिसरयुक्त शाखाएं खोलने पर बैंक ध्यान केंन्द्रित करेंगे। यह 2-3 किमी की यथोचित दूरी पर 10 कारोबारी प्रतिनिधियों तक के लिए छोटे छोटे ग्राहक लेनदेनों के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं सहित निम्न लागत का मध्यस्थ हो सकता है। इस दृष्टिकोण से एक बेहतर ग्राहक शिकायत निवारण कार्यविधि स्थापित करने में उन्हें सहायता मिलेगी और साथ ही एक बेहतर कारोबारी प्रतिनिधि निगरानी कार्यविधि विकसित करने में भी सहायता मिलेगी। इससे नकदी प्रबंधन, प्रलेखीकरण, ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने में दक्षता आएगी।

- बैंक शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों तथा छोटे दुकानदारों को लक्ष्यबद्ध रखते हुए वित्तीय समावेशन में विस्तार करेंगे जिससे बैंक खाते खोलने में आधारीय पंजीकरण का भी लीवरेज होगा।
- अपने द्वारा प्रायोजित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए बैंक वित्तीय समावेशन योजनाएं तैयार करेंगे और प्रभावकारी निगरानी कार्यविधि विकसित करेंगे ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आबंटित लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त किए जा सकें।

5. विवेकपूर्ण विनियामक नीति

बासेल II के अधीन उन्नत दृष्टिकोण अपनाना

3.23 मार्च 2009 में, भारत में सभी अनुसूचित बैंकों ने बासेल II के बुनियादी दृष्टिकोणों का पूरा माइग्रेशन का कार्य पूरा कर लिया। हालांकि मानकीकृत दृष्टिकोणों और पिलर 2 के कार्यान्वयन का कार्य बेहतर किया जाएगा, हाल ही में ध्यान बासेल II फ्रेमवर्क के अधीन पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोणों के अपनाने पर केंद्रित हो गया है। ये उन्नत दृष्टिकोण अलग अलग बैंकों की विनियामक पूंजी तथा उनके जोखिम प्रोफाइल में सामंजस्य लाने में सहायता करेंगे और साथ ही उनकी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में भी सहायता करेंगे। बैंकिंग उत्पादों तथा कारोबारी माडलों के अधिकाधिक जटिल होने से, उन्नत दृष्टिकोणों में इन उत्पादों में निहित जोखिम मापे जा सकते हैं और उनका बेहतर ढंग से प्रबंध किया जा सकता है। अतः उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने से वित्तीय उत्पादों के मूल्यन तथा निष्पादन मापन में भी सहायता मिलेगी।

3.24 मानक दृष्टिकोणों की तुलना में उन्नत दृष्टिकोण अपनाना अधिक चुनौतीपूर्ण है। पहला, उन्नत देशों के विपरीत, भारत में बैंक जोखिम प्रबंधन में उन्नत मात्रात्मक तकनीकों के प्रयोग से वाकिफ नहीं हैं जो बासेल II के अधीन जोखिम उपायों को मापने के लिए आवश्यक हैं। दूसरा, बैंकों को उन्नत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, विशेषकर स्टाफ के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन और क्षतिपूर्ति स्कीम के रूप में, के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत क्षमताएं बनानी हैं। तीसरा, बैंकों को गुणवत्तावाले डाटा, आर्थिक चक्र की समझ, जोखिम माडलों के वैधीकरण के लिए मात्रात्मक तकनीकों तथा दक्ष स्टाफ की आवश्यकता है। अतः उचित यही होगा कि पर्याप्त जोखिम प्रबंध प्रणालियां वाले बड़े बैंक पहले उन्नत दृष्टिकोण अपनाएं और दूसरे बैंक जोखिम प्रबंध प्रणालियों और ब्याज को इस प्रकार अपनाएं कि वह उनके वर्तमान परिचालनों के अनुरूप हो और साथ-साथ उन्नत दृष्टिकोणों के लिए वांछित संगठनात्मक कौशल बनाएं।

3.25 इसके अतिरिक्त, अलग अलग दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन में विशिष्ट चुनौतियां जुड़ी हैं। पहला, आईआरबी दृष्टिकोण के अधीन, ऋण जोखिम के माडल में बैंक के अपने ऐतिहासिक ऋण के आधार पर चूक और एलजीडी के संबंध में चूक की संभावना का माडल बनाने की आवश्यकता है। ऐसी प्रक्रिया में पर्याप्त ऐतिहासिक डाटा न होना एक कठिनाई है। इसके अतिरिक्त, संबंधित डाटा अक्सर अलग-अलग प्रणालियों और यूनिटों में रखा जाता है और बैंकों द्वारा प्रयुक्त पारंपरिक आस्ति श्रेणियां आईआरबी दृष्टिकोण से विभिन्न हैं। भारत में प्रयोग के लिए बाजार डाटा के आधार पर ऋण जोखिम माडल की उपयुक्तता बहुत सीमित है क्योंकि अधिकांश कंपनी उधारग्राही असूचीबद्ध हैं और उनके पास सूचीबद्ध कंपनी बांड नहीं हैं।

3.26 दूसरा, एएमए के अधीन परिचालनात्मक जोखिम का माडल बनाना बाह्य हानि डाटा और गुणवत्ता वाले आंतरिक हानि डाटा के अभाव के कारण चुनौतीपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, परिचालनात्मक जोखिम पूंजी प्रभार की गणना कारोबारी परिवेश के प्रभाव, आंतरिक नियंत्रण घटक और परिदृश्य विश्लेषण का इस्तेमाल करने में उल्लेखनीय व्यक्तिपरक निर्णय करना होता है।

3.27 तीसरा, हालांकि बाजार जोखिम के लिए आईएमए में अधिक डाटा तथा माडलिंग की आवश्यकता नहीं है लेकिन आईआरसी के लिए कार्यविधियां अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं।

3.28 रिज़र्व बैंक ने उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। मार्च 2010 में परिचालनगत जोखिम के लिए तथा अप्रैल 2010 में बाजार जोखिम के लिए टीएसए/एएसए तथा आईएमए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। अप्रैल 2011 में परिचालनगत जोखिम के लिए एएमए के संबंध में भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। फाउंडेशन आईआरबी तथा ऋण जोखिम पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए उन्नत आईआरबी के लिए भी दिशानिर्देश 10 अगस्त 2011 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखे गए हैं। इसमें बैंकों तथा अन्य स्टेकधारकों से टिप्पणियां मंगाई गई हैं। 2011-12 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा के अनुसार यह प्रस्ताव है कि दिसम्बर 2011 के अंत तक आईआरबी दृष्टिकोण पर अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिए जाएं।

निजी क्षेत्र के नये बैंकों को लाइसेंस दिया जाना

3.29 केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में की गई घोषणा और वर्ष 2010-11 के लिए रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में, " ऐण्ट्री आफ न्यू बैंक्स इन द प्राइवेट सैक्टर" विषय पर एक चर्चा पत्र 11 अगस्त 2010 को रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर रखा गया। विभिन्न स्टेकधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और व्यापक आंतरिक चर्चा तथा भारत सरकार से परामर्श के आधार पर, प्रारूप दिशानिर्देश तैयार किए गए और रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर 29 अगस्त, 2010 को जारी किए गए। इसके द्वारा विभिन्न स्टेकधारकों से टिप्पणियां मांगी गईं। प्रारूप दिशानिर्देशों पर सुझाव और टिप्पणियां 31 अक्तूबर 2011 तक मंगाई गई हैं।

प्रारूप दिशानिर्देशों की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं :

(i) पात्र प्रमोटर : निजी क्षेत्र में संस्थाएं/समूह, निवासियों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित स्वामित्व विविधीकृत, मजबूत साख तथा कम से कम 10 वर्ष तक सफल ट्रैक रिकार्ड वाले, बैंक प्रोमोट करने के पात्र होंगे। जिन संस्थाएं/समूह का स्थावर रूपया निर्माण तथा/या दलाली गतिविधियां से अलग-अलग या सामूहिक रूप से पिछले तीन वर्ष में उल्लेखनीय आय या आस्तियों या दोनों (10 प्रतिशत या अधिक) हिस्सा हैं वे पात्र नहीं होगी।

(ii) कंपनी संघटन : नए बैंक केवल पूर्णतया स्वामित्व वाली एनओएचसी के माध्यम से स्थापित किए जाएंगे जो रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत की जाएगी जो बैंक तथा अन्य वित्तीय कंपनियों को प्रमोटर समूह में रखेगी।

(iii) न्यूनतम पूंजी आवश्यकता : न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 500 करोड़ रुपये होगी। इस शर्त के अधीन लाई जानेवाली प्रस्तावित पूंजी प्रमोटरों की कारोबारी योजना पर निर्भर करेगी। एनओएचसी बैंक को लाइसेंस देने की तारीख से पांच वर्ष के लिए बैंक की प्रदत्त पूंजी का कम से कम 40 प्रतिशत धारित करेगी। एनओएचसी में 40 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता को 10 वर्ष के भीतर कम कर के 20 प्रतिशत किया जाएगा और बैंक को लाइसेंस देने की तारीख से 12 वर्ष के भीतर कम कर के 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

(iv) विदेशी शेयरधारिता : नए बैंक में कुल अनिवासी शेयरधारिता पहले 5 वर्ष के लिए 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उसके बाद यह विद्यमान नीति के अनुसार होगी।

(v) कंपनी अभिशासन : एनओएचसी के कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिएं। कंपनी का संघटन इस प्रकार होना चाहिए जिससे रिज़र्व बैंक द्वारा समेकित आधार पर बैंकों तथा एनओएचसी के प्रभावी पर्यवेक्षण में कोई बाधा न आए।

(vi) कारोबारी माडल : माडल वास्तविक तथा अर्थक्षम होना चाहिए और बैंक वित्तीय समावेशन कैसे प्राप्त करेगा उसका प्रावधान होना चाहिए।

(vii) अन्य शर्तें :

- प्रमोटर समूह में किसी संस्था में बैंक का एक्सपोज़र 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। समूह की सभी संस्थाओं में कुल एक्सपोज़र बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा रिज़र्व राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- लाइसेंस प्राप्त करने की तारीख से दो वर्ष के भीतर बैंक अपने शेयर शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करवाएगा।

- बैंक अपनी शाखाओं का कम से कम 25 प्रतिशत बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलेगा
- वर्तमान एनबीएफसी को, यदि पात्र पाई जाती है, तो उन्हें या तो कोई नया बैंक प्रमोट करने या अपने आप को बैंक में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी।

(viii) गैर-वित्तीय कारोबार से 40 प्रतिशत या अधिक आस्तियों / आय वाले प्रमोटर समूहों के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तें निर्धारित

यह उल्लेखनीय है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में कुछ संशोधन करना भारत सरकार के विचाराधीन है। इनमें से कुछ निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस की नीति को अंतिम रूप देने और कार्यान्वित करने से संबंधित हैं जो महत्त्वपूर्ण हैं। महत्त्वपूर्ण संशोधनों में ये शामिल हैं-मतदान अधिकारों के प्रतिबंध हटाना और साथ-साथ किसी बैंक में 5 प्रतिशत या अधिक शेयरों तथा/या मतदान अधिकारों के अधिग्रहण के अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक को प्राधिकृत करना जो 'योग्य तथा उचित है', किसी बैंक के बोर्ड को भंग करने के लिए रिज़र्व बैंक को प्राधिकृत करना ताकि जमाकर्ताओं के हित की रक्षा की जा सके और समेकित पर्यवेक्षण में सहायता मिल सके।

निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया दिशानिर्देशों के प्रारूप पर फीडबैक/ टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किये जाने एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन किये जाने के बाद प्रारंभ की जाएगी।

भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति

3.30 रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2011 में भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के बारे में भी एक चर्चा पत्र जारी किया जिसमें स्टेकधारकों और आम जनता से फीडबैक और सुझाव मांगे गए थे। चर्चा पत्र पर फीडबैक, टिप्पणियां तथा सुझाव प्राप्त होने के बाद भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के स्वरूप के बारे में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

भारतीय बैंकों के लिए होल्डिंग कंपनी संरचना

3.31 वर्ष 2010-11 के लिए मौद्रिक नीति वक्तव्य में दी गई घोषणा के परिणामस्वरूप, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए होल्डिंग कंपनी संरचना प्रारंभ करने तथा विधायी और विनियामक फ्रेमवर्क में परिवर्तनों की जांच करने के लिए जून 2010 में एक कार्य बल गठित किया गया (अध्यक्षः श्रीमती श्यामला गोपीनाथ)। इस दल में भारत सरकार, रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए, आईबीए तथा कुछ बैंकों के प्रतिनिधि थे। सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए कार्यदल की रिपोर्ट मई 2011 में रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखी गई। रिपोर्ट भारत सरकार को विचारार्थ भेज दी गई है।

3.32 कार्यदल ने बैंकों तथा सभी बड़े वित्तीय समूहों के लिए अधिमानतः फिनैन्शियल होल्डिंग कंपनी (एचडीएफसी) माडल की सिफारिश की है चाहे उनके पास बैंक हो या नहीं। एफएचसी मुख्यतया एक गैर परिचालन संस्था होगी और सहायक संस्थाओं के माध्यम से सभी वित्तीय गतिविधियां करेगी। एफएचसी विविधीकृत होगी और कड़े स्वामित्व तथा अधिशासन मानदंडों के अधीन होगी। स्वामित्व संबंधी प्रतिबंध या तो एफएचसी के स्तर पर या संस्था के स्तर पर होंगे, जिसका आधार होगा कि प्रमोटर, जहां विधि द्वारा ऐसा अनुमत है, सहायक संस्थाओं में प्रमुख नियंत्रण रखने के इच्छुक हैं।

3.33 कार्यदल ने यह पाया कि बैंक सब्सिडियरी माडल की तुलना में जहां मूल बैंक के लिक्विडेशन से सहायक संस्थाओं का लिक्विडेशन करना आवश्यक हो जाएगा, एफएचसी माडल से वित्तीय समूहों का बेहतर पर्यवेक्षण हो पाएगा और विभिन्न संस्थाओं का बेहतर समाधान हो पाएगा।

3.34 प्रणालीगत चिंताओं का समाधान करने के लिए, कार्यदल ने एफएचसी स्तर पर समेकित पर्यवेक्षण की संकल्पना व्यक्त की है जिसे वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के बीच सहमति ज्ञापनों के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा। एफएचसी विनियमन का कार्य रिज़र्व बैंक में ही एक अलग इकाई द्वारा किया

जाएगा। इसमें रिज़र्व बैंक से तथा अन्य विनियामकों का स्टाफ होगा। एफएचसी माडल को पूरी तरह से परिचालित करने के लिए, यह सिफारिश की गई है कि एफएचसी का विनियमन करने के लिए एक अलग कानून बनाया जाए और साथ ही, जहां आवश्यक हो, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, कंपनी अधिनियम तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के संबंध में भी कानूनों में संशोधन किया जाए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कराधान प्रावधानों में यथोचित संशोधन करने आवश्यक होंगे ताकि बैंक सब्सिडियरी माडल से एफएचसी माडल में परिवर्तन होने पर, यह कर तथा स्टांप शुल्क निरपेक्ष हो जाए।

3.35 तथापि, पुरानी परिपाटी संबंधी मुद्दों और विनियामक तथा कानूनी प्रावधानों की बहुलता के कारण, भारत में एफएचसी माडल के कार्यान्वयन में बहुत सी चुनौतियां हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नानुसार हैं:

- हालांकि एफएचसी के लिए एक अलग कानून बनाने की सिफारिश की गई है, लेकिन इसके लिए समय लग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार सहित यह सिफारिश सभी स्टेकधारकों द्वारा स्वीकार की जानी है और विभिन्न अन्य अधिनियमों में अभी संशोधन किया जाना है।
- वित्तीय क्षेत्र में कई निहित मुद्दे हैं : ये हैं - विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में विभेदक सरकारी स्वामित्व, विभिन्न विनियामकों द्वारा निर्धारित विभेदक स्वामित्व तथा अधिशासन मानक और विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित विदेशी स्वामित्व के लिए विभेदक उच्चतम सीमाएं। किसी समूह की सभी वित्तीय गतिविधियों को एक एफएचसी के अंदर लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की नीतियों के बीच सामंजस्य होना अनिवार्य है।
- सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बैंक सब्सिडियरी माडल से एफएचसी में पुनर्गठित करना होगा क्योंकि इसमें सरकार के लिए रणनीति तथा सार्वजनिक नीति मुद्दे जुड़े हैं। चाहे सरकार अपना नियंत्रण एफएचसी स्तर पर रखे या बैंक स्तर पर, उसे कार्यान्वयन, प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी मुद्दों का समाधान खोजना होगा।

क्षतिपूर्ति नीति

3.36 कई अन्य अधिकारक्षेत्रों के विपरीत, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों में सीईओ सहित निदेशक मंडल की क्षतिपूर्ति का विषय हमेशा ही बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन रिज़र्व बैंक के विनियमन में रहा है। अधिनियम के उपबंधों के अधीन, अपने निदेशकों/सीईओ को उनके कार्यरत रहने या उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद कोई लाभ, सुविधा या अनुलाभ देने के लिए भारत में बैंकिंग कंपनियां रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करती हैं।

3.37 सशक्त क्षतिपूर्ति प्रथाओं के लिए एफएसबी सिद्धांतों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए जुलाई 2010 में क्षतिपूर्ति के संबंध में प्रारूप दिशानिर्देश अपने वेबसाइट पर रखे। अक्तूबर 2010 में बीसीबीएस ने ''रेंज ऑफ मेथडॉलॉजीस फॉर रिस्क ऐंड परफॉरमेंस एलाइनमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन '' नामक लेख पर एक परामर्शी पत्र जारी किया और मई 2011 में एक अंतिम पत्र जारी किया।

3.38 मई 2011 में घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में तथा प्रारूप दिशानिर्देशों के संबंध में प्राप्त फीडबैक, बाह्य सलाहकारों की सहायता से किए गए प्रभाव विश्लेषण तथा जोखिम सामंजस्य के संबंध में बीसीबीएस द्वारा निर्धारित कार्यविधियों के आधार पर, रिज़र्व बैंक क्षतिपूर्ति के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है।

साख सूचना कंपनियां

3.39 ऐक्सपीरियन क्रेडिट इन्फार्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा ईक्विफैक्स क्रेडिट इन्फार्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पहले 2009-10 में साख सूचना का कारोबार प्रारंभ करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र देने के बाद,

2010-11 में रिज़र्व बैंक ने हाइमार्क क्रेडिट इन्फार्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को साख सूचना का कारोबार करने के लिए प्रमाणपत्र जारी किया। रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2010 में परिपत्र जारी किया। इसमें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे साख सूचना कंपनियों और रिज़र्व बैंक को उनके द्वारा प्रस्तुत डाटा में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) को एक फील्ड के रूप में शामिल करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन साख सूचना कंपनियों के निदेशकों की सही पहचान की जा सकेगी और किसी भी स्थिति में, जिन व्यक्तियों के नाम 25 लाख और उससे अधिक राशि का जानबूझकर चूक करने वाले या 1 करोड़ रुपये से अधिक चूक करने उधारकर्ताओं के नाम से मिलते जुलते हैं, ऐसे आधार पर ऋण सुविधाओं से वंचित न किए जाएं।

अग्रिमों के लिए प्रावधान कवरेज (पीसीआर)

3.40 एक समष्टि विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, बैंकों से अपेक्षित था कि वे सितंबर 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल एनपीए का 70 प्रतिशत पीसीआर के रूप में बनाए रखें। निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड से अधिक के सरप्लस को "काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर" नामक अलग खाते में रखा जाएगा जिसे रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से व्यापक मंदी के दौरान प्रयुक्त किया जाएगा। यह एक अंतरिम उपाय है जब तक कि रिज़र्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग की कुछ अधिक व्यापक कार्यविधि प्रारंभ नहीं कर देता।

पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान

3.41 लेखा मानक एएस15 के अनुसरण में जो अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक आईएएस 19 पर आधारित है, बैंक पेंशन, ग्रेच्युटी, आदि जैसे लाभ कर्मचारियों को देते हैं। बैंकों से अपेक्षित है कि यह सुनिश्चित करें कि उनकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी वेतन संबंधी प्रतिबद्धताएं उनके द्वारा वहन की जा सकती हैं। अप्रैल 2010 में किए गए पिछले 9वें द्विपक्षीय समझौते में सरकारी क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के 10 पुराने बैंक, उपर्युक्त समझौते के कारण अतिरिक्त बोझ के प्रभाव को सहन नहीं कर पाए। अतिरिक्त देयता को ऐमोर्टाइज़ करने के लिए सदस्य बैंकों की ओर से आईबीए ने रिज़र्व बैंक से संपर्क किया। रिज़र्व बैंक द्वारा इन बैंकों को कुछ शर्तों के अधीन पांच वर्ष में इस देयता को एमोर्टाइज करने की विशेष विनियामक छूट दी गयी[3]। ऐसी देयताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान न करना एक विनियामक चिंता है। यह प्रणालीगत स्थिरता मुद्दों से भी जुड़ा है जो न्यून प्रावधान तथा वर्तमान लेखा मानकों का अनुपालन न करने के कारण है। इसलिए, बैंक अपनी अधिवर्षिता देयताओं का उचित आकलन करें और उसी वर्ष में उनका प्रावधान करें जिसमें वेतन समझौते देय हो जाते हैं न कि जिस वर्ष में वे किए जाते हैं।

बासेल III के लिए रोडमैप

3.42 बासेल समिति ने 1 जनवरी 2013 तथा 1 जनवरी 2019 के बीच बासेल III मानक अपनाने के लिए एक विस्तृत रोडमैप निर्धारित किया है। इस संबंध में किए गए आकलन से पता चलता है कि फेज-इन अवधि में बासेल III मानक अपनाने के लिए भारतीय बैंक तैयार हैं। तथापि, कई चुनौतियां बनी हुई है जैसे कि जोखिम प्रावधान प्रणालियों को अपग्रेड करना, कुछ कड़ी विनियामक व्यवस्था के रहते हुए भी तीव्रता से विकासशील अर्थव्यवस्था की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना।

6. पर्यवेक्षी नीति

बड़े तथा प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंकिंग समूहों का निकट से निरंतर पर्यवेक्षण

3.43 पर्यवेक्षी संसाधनों को इष्टतम करने और साथ ही प्रणालीगत रूप से कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण बैंकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग की पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं और संगठनात्मक संरचना का पुनर्गठन

[3] विस्तृत विवरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट-2010-11 देखें।

किया जाए। विभाग का पुनर्गठन 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी किया गया जिसके द्वारा वित्तीय संगुट निगरानी प्रभाग (एफसीएमडी) के नाम से एक नया प्रभाग बनाया गया। यह प्रभाग 12 बड़े तथा प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंकिंग समूहों का ''निकट से तथा निरंतर पर्यवेक्षण'' करेगा। इन 12 बैंकों के पास बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों का 52.7 प्रतिशत हिस्सा है। पुनर्गठित स्थापना के अधीन, एफसीएमडी के लिए पर्यवेक्षी उत्तरदायित्व में आन-साइट तथा आफ-साइट पर्यवेक्षण तथा, अन्य बातों के साथ-साथ, समूह - वार पूंजी पर्याप्तता आकलन पर ध्यान केंन्द्रित करते हुए बैंकिंग समूहों का और अधिक अर्थपूर्ण समेकित/संगुट पर्यवेक्षण किया जाएगा।

वाणिज्य बैंकों के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए स्टीयरिंग समिति

3.44 रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी नीतियों, कार्यविधियों तथा प्रक्रियाओं की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए और पर्यवेक्षी नीतियों को वैश्विक मानकों के समतुल्य बनाने के लिए सुधारों का सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय स्टीयरिंग समिति (अध्यक्षः डा. के.सी.चक्रवर्ती) गठित की गई है। श्री बी. महापात्र, कार्यपालक निदेशक, रिज़र्व बैंक, डा.जे.आर.वर्मा, प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद, श्री दिवाकर गुप्ता, एमडी तथा सीएफओ, भारतीय स्टेट बैंक, श्रीमती चन्दा कोचर, प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईसीआईसीआई बैंक लि., श्री बसंत सेठ, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, सिंडिकेट बैंक, तथा श्री एम.बी.एन.राव, सेवानिवृत्त प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक इसके सदस्य हैं और श्री जी. जगनमोहन राव, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक इसके सदस्य-सचिव हैं। समिति अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2012 तक प्रस्तुत करेगी।

बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के फार्मेट की समीक्षा

3.45 बैंकिंग प्रणाली में परिवर्तनों, बैंकों द्वारा कारोबार करने के तरीकों के अनुसार तेजी से बदलती कारोबारी प्रथाओं के अनुरूप पर्यवेक्षकों को स्वयं को बदलने की आवश्यकता को देखते हुए, बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण की प्रक्रिया को पुनःपरिभाषित किया गया है। वार्षिक वित्तीय निरीक्षण की व्याप्ति तथा इन रिपोर्टों को बनाने की पद्धति के संबंध में संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य फोकस को प्रखर करना तथा विश्लेषण में अधिक स्पष्टता लाना एवं स्पष्ट निष्कर्षों पर पहुंचना है ताकि रिज़र्व बैंक निष्कर्षों के आधार पर स्पष्ट पर्यवेक्षी कार्रवाई कर सके। ये दिशानिर्देश वर्तमान वार्षिक वित्तीय निरीक्षण चक्र 2011-12 में प्रारंभ कर दिये गये हैं।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) द्वारा की गई पहलें

3.46 नवंबर 1994 में गठित बीएफएस रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी और विनियामक पहल के पीछे मुख्य दिशानिर्देश वाली शक्ति है। जुलाई 2010 से जुलाई 2011 तक बीएफएस ने 13 बैठकें कीं। उसने 98 निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा की (सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 25, निजी क्षेत्र के बैंकों की 30, विदेशी बैंकों की 31, स्थानीय क्षेत्र बैंकों की 4, तथा वित्तीय संस्थाओं की 8)। इस अवधि में, बीएफएस ने निरीक्षण रिपोर्टों के 15 सारांशों और ग्रेड I/II में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय मुख्य-मुख्य बातों के 43 सारांशों की भी समीक्षा की। अवधि के दौरान बीएफएस ने जिन महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :

- पर्यवेक्षी श्रेणी निर्धारण के संबंध में काफी रुचि दिखाते हुए बीएफएस ने श्रेणी निर्धारण कार्यविधि की पूरी समीक्षा करने की अपेक्षा की। सुझावों में (i) उप पैरामीटरों को दिए भारांक की समीक्षा; (ii) कम्पोज़िट श्रेणी निर्धारण में समायोजन ताकि विभिन्न पैरामीटरों के निष्पादन में गिरावट या सुधार दिखाया जा सके। इस समय पर्यवेक्षी श्रेणी निर्धारण फ्रेमवर्क की समीक्षा की जा रही है।
- समीक्षाधीन अवधि में, बीएफएस ने देखा कि अनुकूल बाजार परिस्थितियों का फायदा उठाने और लाभ बुक करने के लिए कई बैंकों ने वर्ष में एक से अधिक बार एचटीएम श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों की बिक्री की। बीएफएस के निर्देशानुसार, अगस्त 2010 में एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें बैंकों को सूचित किया गया कि एचटीएम श्रेणी के अधीन धारित निवेशों का बाजार मूल्य बताएं और यदि

एचएमटी श्रेणी को/से प्रतिभूतियों के विक्रय और अंतरणों का मूल्य एचटीएम में निवेश के बही मूल्य से अधिक हो, तो बाजार मूल्य की तुलना में बही मूल्य का आधिक्य बताएं, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यह सूचना बैंकों के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में '' नोट्स टू अकाउंट्स'' में दी जाएगी। नवंबर 2010 में, यह स्पष्ट किया गया कि लेखा वर्ष के प्रारंभ में निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों के एकबारगी अंतरण तथा पूर्वघोषित ओएमओ नीलामियों के अधीन रिज़र्व बैंक को किए गए विक्रय अगस्त 2010 में निर्धारित की गई 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा से बाहर होंगे।

- बीएफएस ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जिसके अनुसार केवल उन्हीं विदेशी बैंकों का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण किया जाएगा, जिनका कारोबारी अंश, बाजार अंश (आस्तियां+ तुलनपत्र से इतर कारोबार) के 0.1 प्रतिशत से अधिक है। जिन विदेशी बैंकों का बाजार में हिस्सा 0.1 प्रतिशत से कम है उनका निरीक्षण दो वर्ष में एक बार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी रेटिंग 'बी' तथा उससे अधिक हो। जिन विदेशी बैंकों का बाजार में हिस्सा 0.1 प्रतिशत से कम है तथा रेटिंग 'सी' तथा उससे कम है, उनका निरीक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाएगा।
- बीएफएस के सुझावों के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि पर्यवेक्षकों के तौर पर, निरीक्षण अधिकारी को बैंक की निरीक्षण/लेखा परीक्षा टीमों की सभी रिपोर्टों/ समीक्षा टिप्पणियां उपलब्ध होनी चाहिएं, जिनमें से कुछ विदेश से हो सकती हैं और स्थानीय रूप से उपलब्ध न हों।

यूके में होल फर्म लिक्विडिटी मोडिफिकेशन व्यवस्था : भारतीय बैंकों के लिए निहितार्थ

3.47 वित्तीय पर्यवेक्षण व्यवस्थाओं में बढ़े अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आघातों को सहन करने के लिए बैंकिंग प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए यूके की फिनांशियल सर्विसेज़ ऑथरिटी(एफएसए) ने एक नई चलनिधि व्यवस्था का प्रस्ताव दिया। व्होल फर्म लिक्विडिटी मोडिफिकेशन व्यवस्था जिसमें यूके में शाखाओं/सहायक संस्थाओं के माध्यम से परिचालन कर रहे भारतीय बैंक शामिल हैं, से भारतीय बैंक की यूके शाखा, होल फर्म (बैंक) के भीतर से कहीं से भी असीमित चलनिधि प्राप्त कर सकेगी। रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद, यूके में कार्यरत छह भारतीय बैंकों ने उपर्युक्त व्यवस्था के अधीन '' व्होल फर्म मोडिफिकेशन'' के लिए आवेदन किया है। बाद में, रिज़र्व बैंक ने एफएसए के साथ अक्तूबर 2010 में करार भी किए ताकि छह बैंकों के संबंध में निरंतर आधार पर मूल बैंक की चलनिधि पर निगरानी रखी जा सके। करार के अनुसार, भारतीय बैंकों की यूके शाखाओं के संबंध में चलनिधि अपर्याप्तता के ट्रिगरों की विशेषताओं और निगरानी का काम मूल बैंक करेगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की सूचना देना

3.48 रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2010 में एक परिपत्र जारी करके सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को धोखाधड़ी की सूचना देने के लिए उच्चतम सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपये कर दी गई है और तदनुसार, 1 करोड़ रुपये से अधिक और 7.5 करोड़ रुपये तक के सभी धोखाधड़ी मामलों, जहां प्रथम दृष्टि में स्टाफ शामिल हैं, की सूचना भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी जानी चाहिए। तथापि, जहां पृथम दृष्टि में स्टाफ शामिल नहीं है, वहां सूचना केंद्रीय जांच ब्यूरो की आर्थिक अपराध विंग को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, 7.5 करोड़ रुपये से अधिक के सभी मामलों की सूचना बैंकिंग सुरक्षा और धोखाधड़ी कक्ष के संबंधित केंद्र को दी जाएगी जो प्रमुख बैंक धोखाधड़ी के मामलों के लिए आर्थिक अपराध विंग का विशिष्ट कक्ष है।

निजी क्षेत्र/विदेशी बैंकों में आंतरिक सतर्कता

3.49 निजी तथा विदेशी बैंकों के आंतरिक सतर्कता कार्य को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अनुरूप बनाने के लिए कुछ निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के वर्तमान सतर्कता कार्यों को वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ मैप किया गया और यह देखा गया कि बैंकों में प्रथाएं अलग-

अलग हैं। मई 2011 में निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए ताकि भ्रष्टाचार, कुप्रथाओं और धोखाधड़ी के संबंध में चूक से संबंधित मुद्दों पर समय पर और यथोचित कार्रवाई की जा सके। विस्तृत दिशानिर्देशों का उद्देश्य आंतरिक सतर्कता के कार्य में एकरूपता लाना तथा उसे युक्तिसंगत बनाना था। भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, सूचित किया गया कि वे (i) आंतरिक सतर्कता का प्रमुख अधिकारी नियुक्त करें और उसकी भूमिका भी दिशानिर्देशों में परिभाषित की गई है; (ii) संवेदनशील पदों की पहचान करें और संवेदनशील डेस्कों पर कार्यरत स्टाफ के रोटेशन, उन्हें अनिवार्यतः छुट्टी पर भेजने के संबंध में बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करें।

फोरैन्सिक संवीक्षा के लिए दिशानिर्देश

3.50 रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत खामियों, यदि कोई हो, और नियंत्रणों की पर्याप्तता की पहचान करने के लिए कुछ पहचान किए गए बैंकों में फोरैन्सिक संवीक्षा की गई क्योंकि बड़े मूल्य की धोखाधड़ियां हुई थीं और ऐसे बैंकों में धोखाधड़ियों की संख्या बढ़ गई थी। संवीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर पहले जारी ''डिटैक्शन एण्ड रिपोर्टिंग आफ फ्राड्स, करैक्टिव ऐक्शन एण्ड प्रीवैन्टिव एण्ड प्यूनिटिव ऐक्शन'' परिपत्र के अनुसार धोखाधड़ी का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए परिचालनात्मक फ्रेमवर्क के बारे में सूचित किया गया। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी एचआर प्रक्रिया और आंतरिक निरीक्षण लेखा परीक्षा प्रक्रिया में यथोचित नियंत्रण और निरुत्साहित करने वाले उपाय रखें, जो विशिष्ट शाखाओं में 'योग्य तथा उचित मानदंड' का पालन करते हुए स्टाफ नियोजित करे और जांच/डाटा विश्लेषण में रुचि रखने वाले स्टाफ का डाटा बेस तैयार करे और उन्हें जांच और फोरेन्सिक लेखा परीक्षा का प्रशिक्षण दें।

डेरिवेटिव लेनदेनों के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई

3.51 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठित रिज़र्व बैंक की धारा 47ए(1)बी, के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने 19 वाणिज्य बैंकों पर दंड लगाया है। रिज़र्व बैंक द्वारा डेरिवेटिव लेनदेनों के बारे में जारी विभिन्न निदेशों तथा अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए यह दंड लगाया गया है। ये उल्लंघन प्रयोक्ता की उपयुक्तता तथा उत्पादों की संगतता के बारे में पर्याप्त सावधानी न बरतने तथा डेरिवेटिव उत्पाद ऐसे प्रयोक्ताओं को बेचने के कारण था जिन्हें यथोचित जोखिम प्रबंधन नीतियों का ज्ञान नहीं था।

ब्याज दर संवेदनशीलता की निगरानी के लिए विवरणी

3.52 रिज़र्व बैंक ने ड्यूरेशन गैप के आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता पर निगरानी रखने के लिए एक नई विवरणी प्रारंभ की है और ड्यूरेशन गैप की गणना के संबंध में नवंबर 2010 में एक परिपत्र जारी किया है। विवरणी तथा गणना की कार्यविधि बाक्स III.1 में दी गई है।

7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3.53 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्र पर आधारित और ग्रामीणोन्मुख बैंक हैं जो समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों के अनुसार संस्थागत ऋण संरचना में क्षेत्रीय असंतुलनों और कार्यमूलक कमियों को दूर करने के लिए स्थापित किए गए हैं। कारोबारी प्रतिनिधि, कारोबारी फैसिलिटेटर तथा नई प्रौद्योगिकियों जैसे नए ऋण वितरण माडलों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि नए ग्राहकों तक पहुंचा जा सके। अतः स्थानीय स्वरूप का होने और वहां के लोगों से परिचित होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय समावेशन के आंदोलन को आगे बढ़ाने में आदर्श है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन

3.54 सितंबर 2005 में प्रारंभ की गई समेकन और समामेलन की प्रक्रिया के कारण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घट कर 82 रह गई है। अब, 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 80 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिए गए हैं। इस समय दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगाल और कलिंग ग्रामीण बैंक, उड़ीसा अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं।

बाक्स III.1 : ड्यूरेशन गैप विश्लेषण के आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की निगरानी

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जहां बाजार ब्याज दरों में परिवर्तनों से बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है। ब्याज दरों में परिवर्तन से बैंक की एनआईआई में परिवर्तन के माध्यम से बैंक के अर्जन पर प्रभाव पड़ता है। ब्याज दरों में परिवर्तन से उसकी दर संवेदनशील आस्तियों के आर्थिक मूल्य, देयताओं और तुलनपत्र से इतर स्थितियों के परिवर्तनों से बैंक की एमवीई या निवल मालियत पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार ब्याज दर जोखिम को दो तरीकों से देखा जा सकता है, अर्थात् 'अर्जन दृष्टिकोण' और 'आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण'। सामान्यतया, अर्जन को टीजीए का प्रयोग करते हुए मापा जाता है और आर्थिक मूल्य को कुछ और अधिक परिष्कृत जीपीए के द्वारा मापा जाता है।

इस समय, रिज़र्व बैंक ब्याज दर संवेदनशीलता के संबंध में मासिक विवरणी के माध्यम से टीजीए का प्रयोग करते हुए बैंकों के ब्याज दर जोखिम की निगरानी करता है। टीजीए का ध्यान सामान्यतया एक वर्ष की अवधि में बैंक की ब्याज दर घटबढ़ में उसकी एनआईआई में संवेदनशीलता के संदर्भ में ब्याज दर जोखिम के प्रति बैंक के जोखिम स्तर को मापना है। इसमें सभी आरएसए तथा आरएसएल तथा अवशिष्ट परिपक्वता/विभिन्न टाइम बैंड में पुनर्मूल्यन तथा ईएआर की गणना या एक वर्ष में विभिन्न ब्याज परिदृश्यों के अधीन आय की हानि तुलनपत्र से इतर मदें निहित हैं।

पारंपरिक गैप विश्लेषण के अधीन ब्याज दर जोखिम पर निगरानी करने के लिए वर्तमान विवरणी के अलावा, डीजीए का प्रयोग करते हुए, एक नई विवरणी प्रारंभ की जा रही है, जिसे आईएसआरडी कहा जाएगा। डीजीए में विभिन्न टाइम बैंक में अवशिष्ट परिपक्वता/पुनर्मूल्यन के अनुसार सभी आरएसए तथा आरएसएल की बकटिंग तथा एमडीजी की गणना निहित है। आरएसए तथा आरएसएल में दर संवेदी तुलनपत्र से इतर आस्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। एमडीजी का प्रयोग विभिन्न ब्याज दर परिदृश्यों के अधीन बैंक की एमवीई पर प्रभाव के आकलन के लिए किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में बैंकों ने आवास ऋण तथा बुनियादी सुविधाओं जैसी दीर्घावधि आस्तियों का वित्तपोषण प्रारंभ किया है। बैंकों को बुनियादी सुविधा क्षेत्र में पांच वर्ष से अधिक की परिपक्वता में उनके एक्सपोजर की सीमा तक न्यूनतम पांच वर्ष की परिपक्वता वाले दीर्घावधि बांड के माध्यम से निधियां जुटाने की अनुमति दी गई है। अतः नई विवरणी में समय बजट अर्थात '5 वर्ष से अधिक तथा 7 वर्ष तक', '7 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक' और '10 वर्ष से अधिक तथा 15 वर्ष तक' और 15 वर्ष से अधिक शामिल किए गए हैं।

संशोधित ड्यूरेशन गैप की गणना करने के लिए क्रमवार दृष्टिकोण का विवरण रिज़र्व बैंक के 4 नवंबर 2010 के परिपत्र (डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.59/21.04.098/2010-11) में दिया गया है। जहां बैंक की कुल वैश्विक आस्तियों/देयताओं में आस्तियां/देयताएं 5 प्रतिशत या अधिक हैं, वहां बैंकों को अपनी ब्याज दर जोखिम स्थिति, की गणना, प्रत्येक मुद्रा में (रुपये सहित) उस मुद्रा में आरएसए तथा आरएसएल मदों पर डीजीए का प्रयोग करके करनी होगी। शेष अन्य सभी मुद्राओं में ब्याज दर जोखिम की स्थिति की गणना समग्र आधार पर अलग-अलग की जाएगी। निर्धारित फ्रेमवर्क का उद्देश्य है -पूरे बैंक में ब्याज दर संवेदी स्थितियों में परिवर्तनों के कारण एमवीई पर प्रभाव का निर्धारण, अर्थात बैंकिंग तथा व्यापारी बहियों दोनों में। बैंक निर्धारित फार्मेट में डीजीए के अनुसार ब्याज दर संवेदनशीलता के संबंध में 30 जून 2011 से 31 मार्च 2012 तक तिमाही आधार पर और 30 अप्रैल 2012 से मासिक आधार पर रिर्पोट प्रस्तुत करेंगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा लाइसेंस नीति

3.55 रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा लाइसेंस नीति को हाल ही में उदार कर दिया है और उन्हें टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार 49,999 तक जनसंख्या) रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना शाखा खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कि वे इसकी सूचना रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें और संबंधित परिपत्र में विनिर्दिष्ट कुछ शर्तों को पूरा करते हों।

सीबीएस कार्यान्वयन

3.56 30 सितंबर 2011 की स्थिति के अनुसार, 82 में से 65 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सीबीएस को पूरी तरह से अपना लिया है और शेष बैंकों में सीबीएस के कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है। सभी प्रायोजक बैंकों ने सितंबर 2011 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीबीएस को कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया है।

ग्रैच्युटी का अमोर्टाइजेशन

3.57 ग्रैच्युटी के भुगतान के लिए उच्चतम सीमा 3.50 लाख से बढ़ा कर 10.00 लाख रुपये करने के परिणामस्वरूप, एलआईसी को अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देयता काफी बढ़ गई है। अतः, उन्हें प्रत्येक वर्ष निहित राशि के न्यूनतम 1/5 हिस्से की शर्त के अधीन 31 मार्च 2011 के अंत से प्रारंभ करके 5 वित्तीय वर्षों में बढ़े हुए खर्च को अमोर्टाइज करने की अनुमति दी गई है।

8. सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक

3.58 समावेशक विकास, जिसमें वित्तीय समावेशन को उल्लेखनीय महत्ता प्रदान की गई है, की दृष्टि से भारतीय वित्तीय प्रणाली में सहकारी बैंकों की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। 2010-11 में, भारत में सहकारी बैंकिंग को मजबूत करने के लिए कई प्रकार की पहलें की गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा आफ साइट एटीएम खोलना-उदारीकरण

3.59 उदारीकृत नीति के अनुसार, वित्तीय रूप से सुदृढ़ तथा भलीभांति प्रबंधित शहरी सहकारी बैंक अपनी वार्षिक कारोबारी योजना में शामिल एटीएम के अलावा आफ साइट एटीएम खोल सकते हैं बशर्ते कि वे निम्नलिखित मानदंडों का पालन करें: i) 10 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखना, ii) निवल एनपीए 5 प्रतिशत से कम हों, iii) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने में कोई चूक न हुई हो, iv) पिछले 3 वर्ष के दौरान लगातार निवल लाभ, v) बोर्ड में दो पेशेवर निदेशकों सहित मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा vi) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949(सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों/निदेशों के अनुपालन के ट्रेक रिकार्ड के आधार पर विनियामक संतुष्टि। इसके अतिरिक्त, वित्तीय रूप से सुदृढ़ तथा भलीभांति प्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों की न्यूनतम स्वाधिकृत निधियां उस केंद्र के लिए निर्धारित प्रवेश संबंधी पूंजीगत मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए जहां ऑफ साइट एटीएम लगाने का प्रस्ताव है/जहां शहरी सहकारी बैंक पंजीकृत है।

नए बैंक लाइसेंस

3.60 जैसा कि वार्षिक नीति वक्तव्य 2010-11 में घोषित किया गया, रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को नए बैंक लाइसेंस देने के औचित्य का अध्ययन करने के लिए सभी स्टेकधारकों को लेकर एक समिति(अध्यक्ष: श्री वाई.एच.मालेगाम) गठित की। विशेषज्ञ समिति ने 18 अगस्त 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के मत में, बैंक सुविधारहित जिलों तथा 5 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्रों पर शहरी सहकारी बैंकों की बेहतर उपस्थिति की आवश्यकता है। इस संबंध में, यह आवश्यक है कि नए प्रवेशकर्ताओं को बैंक सुविधारहित तथा अपर्याप्त बैंक सुविधावाले राज्यों और जिलों में बैंक और शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वर्तमान भलीभांति प्रबंधित और अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाली सहकारी ऋण समितियों को शहरी सहकारी बैंकों के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस देने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, विशेषकर बैंक सुविधारहित या अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले केंद्रों में। नए शहरी सहकारी बैंक खोलने के संबंध में विशेषज्ञ समिति के दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :-

- जो शहरी सहकारी बैंक किसी पूर्वोत्तर राज्य या केवल एक राज्य में काम करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 50 लाख रुपये की पूंजी की आवश्यकता होगी। जो शहरी सहकारी बैंक दूसरे राज्यों में काम करना चाहते हैं लेकिन उनकी अधिकांश शाखाएं "सी" और "डी" श्रेणी के जनसंख्या केंद्रों पर हैं, उन्हें न्यूनतम 100 लाख रुपए की पूंजी की आवश्यकता होगी। जो शहरी सहकारी बैंक "सी" और "डी" श्रेणी के बिना दूसरे राज्यों में काम करना चाहते हैं उनकी न्यूनतम पूंजी 300 लाख रुपये होनी चाहिए। पांच वर्ष के सफल परिचालन के बाद जो शहरी सहकारी बैंक एक से अधिक राज्य में काम करना चाहते हैं उन्हें कम से कम 500 लाख रुपये की पूंजी की आवश्यकता होगी।
- बैंक के रूप में सहकारी बैंक का स्वामित्व उसके सहकारी समिति के रूप में कार्य से अलग होना चाहिए। नए संगठन में निदेशक मंडल के अतिरिक्त प्रबंधन बोर्ड भी होगा।
- निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधन मंडल गठित किया जाएगा। इसमें पेशेवर कुशलताप्राप्त व्यक्ति होंगे जिन्हें बैंक के नियंत्रण और उसके कार्यकलापों को दिशा देने का दायित्व सौंपा जाएगा। इस काम में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रबंधन मंडल की सहायता करेगा और वह बैंक के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से की जाएगी।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा मुद्रा आप्शन का व्यापार करने के संबंध में दिशानिर्देश

3.61 प्राधिकृत व्यापारी (श्रेणी I) के रूप में लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) के दिशानिर्देशों के अधीन केवल ग्राहकों के लेनदेनों के कारण उत्पन्न अन्तर्निहित एक्सपोजर की सुरक्षा करने के प्रयोजन से, सेबी द्वारा केवल ग्राहक के रूप में मान्यताप्राप्त किसी विनिर्दिष्ट ऐक्सचेंज पर ऐक्सचेंज ट्रेडड करेंसी ऑप्शन बाजार में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई है।

आवासन, स्थावर संपदा क्षेत्र और वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र में एक्सपोजर

3.62 जैसा कि 2010-11 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में घोषित किया गया था, आवासन, स्थावर संपदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋणों में शहरी सहकारी बैंकों का एक्सपोजर उनकी कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत तक होगा, न कि जमाराशियों के 15 प्रतिशत तक, जो 10 लाख रुपये तक की लागतवाले आवासीय यूनिटों के संबंध में आस्तियों के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा तक बढ़ाया जा सकता है जिसे बाद में व्यक्तियों को मंजूर किए गए आवास ऋण के लिए बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया कि शहरी बैंकों द्वारा स्थावर संपदा, वाणिज्यिक स्थावर संपदा और आवासीय ऋणों की समग्र सीमा उच्चतर वित्तीयन एजेंसियों तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त से अधिक नहीं होगी।

जीरो कूपन बांड में निवेश के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

3.63 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि जब तक जारीकर्ता समूचे उपचित ब्याज के लिए सिंकिंग फंड नहीं बना और उसका तरल निवेशों/प्रतिभूतियों (सरकारी बांडों) में निवेश जारी नहीं रखता, तब तक वह जीरो कूपन बांड में निवेश न करे।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के आवासीय ऋणों की सीमा

3.64 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2011 को या उसके बाद प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में मंजूर किए गए आवासीय ऋणों की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ा कर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

निवेश के लिए लेखा कार्यविधि : निपटान दिवस लेखाकरण

3.65 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए लेखाकरण करते समय एकसमान प्रथाएं अपनाने के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों में आउटराइट तथा रेडी फारवर्ड क्रय और विक्रय रिकार्ड करने के लिए ''सैटलमैंट डेट'' लेखांकन का पालन करें।

ग्रैच्यूटी सीमा में वृद्धि- विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार

3.66 ग्रैच्यूटी अधिनियम, 1972 में संशोधन के परिणामस्वरूप, ग्रैच्युटी भुगतान में वृद्धि किए जाने से, शहरी बैंकों को, यदि व्यय वित्तीय वर्ष 2010-11 में पूरी तरह लाभ और हानि खाते में प्रभारित नहीं किया गया है, तो 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष से प्रारंभ करते हुए पांच वर्ष की अवधि में आस्थगित करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि प्रत्येक वर्ष कुल संबंधित राशि का न्यूनतम 1/5 हिस्सा लाभ और हानि खाता में प्रभारित किया जाए। शहरी सहकारी बैंक इस प्रकार आस्थगित किए गए व्यय की सूचना वार्षिक वित्तीय विवरणों में देंगे।

स्वसहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों का वित्तीयन

3.67 शहरी सहकारी बैंकों की आउटरीच और अधिक बढ़ाने तथा वित्तीय समावेशन के लिए एक और चैनल खोलने की दृष्टि से, जो उन्हें कमजोर वर्गों को उधार का उप लक्ष्य प्राप्त करने में भी सहायता देगा, शहरी सहकारी बैंकों को स्वसहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को उधार देने की अनुमति दी गई। कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए स्वसहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को दिये गये ऐसे उधार को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम माना जाएगा। इसके अतिरिक्त 50,000 रुपये तक स्वसहायता समूह/संयुक्त देयता समूह को दिए गए अन्य ऋणों को माइक्रो क्रेडिट समझा जाएगा और इसलिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम माना जाएगा। स्वसहायता समूहों को उधार, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण माना जाता है, भी कमजोर वर्गों को उधार का भाग माना जाएगा।

शहरी सहकारी बैंकों के ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा

3.68 न्यूनतम 100 करोड़ रुपये की निवल राशि, न्यूनतम 10 प्रतिशत सीआरएआर तथा 5 प्रतिशत से कम निवल एनपीए वाले तथा पिछले तीन वर्ष में लगातार निवल लाभ अर्जित करने वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक को रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की शर्त के अधीन अपने ग्राहकों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई।

ग्रामीण सहकारी बैंक

सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने की स्थिति

3.69 देश में 31 राज्य सहकारी बैंक और 371 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक हैं। लाइसेंस के बारे में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जाने के परिणामस्वरूप, दस राज्य सहकारी बैंकों और 160 जिला

मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस दिया गया। 30 जून 2011 की स्थिति के अनुसार, सात राज्य सहकारी बैंकों और 136 जिला मध्यवर्ती बैंकों के पास अभी भी लाइसेंस नहीं हैं।

राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंको के लिए आवास वित्त की सीमा निर्धारित

3.70 राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि आवास वित्त में अपने एक्सपोज़र अपनी कुल आस्तियों के 5 प्रतिशत तक सीमित रखें न कि अपने कुल ऋणों और अग्रिमों के 10 प्रतिशत तक।

9. गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

मूलभूत सुविधा ऋण की परिभाषा में संशोधन

3.71 ''मूलभूत सुविधा ऋण'' पद की परिभाषा, जिसे क्रमशः गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (जमाराशि स्वीकारने या धारण करने वाली) विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 के पैरा 2 (viii)तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (जमाराशि न स्वीकारने वाली धारण न करने वाली) विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2007 में परिभाषित किया गया, में संशोधन किया गया है। परिणामस्वरूप, गैर बैंकिंग कंपनियों को "टेलीकाम टावर्स" को बुनियादी सुविधा में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि केवल रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित साख निर्धारण एजेंसियां ही इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्स कंपनियों का साख निर्धारण कर सकती हैं।

कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक फ्रेमवर्क

3.72 वर्तमान विनियामक फ्रेमवर्क के अधीन, 100 करोड़ रुपये से कम आस्तियों वाली कोर निवेश कंपनियों को रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण कराने से छूट प्राप्त है। तथापि, 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक आस्तियों वाली तथा सार्वजनिक निधियां स्वीकार करने वाली सीआईसी को प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी-एनडी-एसआई) माना जाएगा और उन्हें रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा चाहे उन्हें विगत में यह सूचित किया गया हो कि पंजीकरण आवश्यक नहीं है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मानक आस्तियों के लिए 0.25 प्रतिशत प्रावधान प्रारंभ करना

3.73 प्रतिचक्रीयता तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आर्थिक मंदी के प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रख सकें, बकाया मानक आस्तियों के 0.25 प्रतिशत का प्रावधान प्रारंभ किया गया है।

मुद्रा आप्शन में सहभागिता

3.74 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(आरएनबीसी को छोड़कर) को सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्दिष्ट मुद्रा आप्शन ऐक्स्चेंजों में सहभागिता की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए और यह सहभागिता केवल अन्तर्निहित विदेशी मुद्रा ऐक्स्पोजर की सुरक्षा के लिए हो और इसकी यथोचित सूचना तुलनपत्र में दी जाए।

ऋण सूचना कंपनियों को डाटा प्रस्तुत करना

3.75 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा है कि वे कम से कम एक ऋण सूचना कंपनी का सदस्य बनें। उनसे अपेक्षा है कि निर्धारित फार्मेट में ऋण सूचना कंपनियों को ऋण सूचना उपलब्ध कराएं। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे ऐतिहासिक डाटा उपलब्ध कराएं ताकि नई ऋण सूचना कंपनियां एक मजबूत डाटा बेस विकसित कर सकें।

तुलनपत्र तथा लाभ और हानि खाता सूचना

3.76. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सूचित किया गया है कि 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष अपना तुलनपत्र और लाभ और हानि खाता तैयार करें। तुलनपत्र की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें तुलनपत्र को अंतिम रूप देने की तारीख से एक महीने के भीतर प्रति वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार कंपनी की स्थिति के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और किसी भी स्थिति में उस वर्ष की 30 दिसंबर के बाद नहीं होगा।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भागीदारी फर्मों में भागीदार नहीं होंगी

3.77 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के भागीदारी फर्मों के साथ जुड़ने के जोखिम को देखते हुए, गैर बैंकिंग कंपनियों पर यह प्रतिबन्ध है कि किसी भागीदारी फर्म में पूंजी का अंशदान न करें या भागीदारी फर्मों में भागीदार न बनें। वर्तमान भागीदारी के मामले में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे भागीदार फर्मों से शीघ्र अलग हो जाएं।

कंपनी ऋण प्रतिभूतियों में रैडी फार्वर्ड संविदाएं

3.78 रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनियों को छोड़कर) कंपनी ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेनों में भाग लेने के लिए पात्र हैं। ऐसे रेपो लेनदेनों में भाग लेने की इच्छुक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और लेखाकरण दिशानिर्देशों का पालन करें। प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण सभी जमाराशियां स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां रेपो लेनदेनों में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से अपंग / दृष्टिहीन व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं

3.79 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि अशक्तता के आधार पर शारीरिक रूप से अपंग / दृष्टिहीन व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं देने सहित उत्पादों और सुविधाओं को देने में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए।

सीआरएआर को बढ़ा कर 15 प्रतिशत करना

3.80 यह निर्णय लिया गया कि जमाराशियां स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के न्यूनतम पूंजी अनुपात को एनबीएफसी-एनडी-एसआई के 15 प्रतिशत के बराबर कर दिया जाए। तदनुसार, जमाराशि स्वीकार करनेवाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि टीयर I और टीयर II पूंजी का न्यूनतम पूंजी अनुपात बनाए रखें, जो 31 मार्च, 2012 से तुलनपत्र पर उसके समग्र जोखिम भारित आस्तियों और तुलनपत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

सरफैसी (एसएआरएफएईएसआई)अधिनियम, 2002 के अधीन केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्री स्थापित करना

3.81 एक ही अचल संपत्ति पर विभिन्न बैंकों से बहुल उधारों के ऋण मामलों में धोखाधड़ी रोकने के लिए, सरफैसी अधिनियम के अधीन एक केंद्रीय इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्री स्थापित की गई है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेशों में शाखा/सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम/प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना

3.82 विदेश में निवेश करने की इच्छुक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (संशोधन) विनियम 2004 तथा गैर बैंकिंग वित्तीय पर्यवेक्षण विभाग, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (शाखा/सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम/प्रतिनिधि कार्यालय या विदेश में निवेश करना) निदेश 2011 के अधीन 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त करना चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का प्रधान कार्यालय पंजीकृत है।

बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का प्रवेश

3.83 रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कुछ रक्षोपायों के अधीन जोखिम सहभागिता सहित बीमा कारोबार करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी : i) किसी संयुक्त उद्यम कंपनी में ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो अधिकतम ईक्विटी अंशदान कर सकती है, वह है बीमा कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 50 प्रतिशत; ii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के उसी समूह या किसी और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में जुड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था या बैंकिंग कारोबार से जुड़ी कंपनी को जोखिम भागीदारी आधार या बीमा कंपनी से जुड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि यदि उसी समूह की एक से अधिक कंपनी, बीमा कंपनी में स्टेक लेना चाहती है, तो उसी समूह की सभी कंपनियों के अंशदान को एनबीएफसी के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा में गिना जाएगा।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां - संशोधित फार्मेट

3.84 वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, सभी एनबीएफसी (आरएनबीसी को छोड़कर) को अन्य मदों के साथ-साथ, जमाराशियां स्वीकार करने, विवेकपूर्ण मानदंड तथा पूंजी बाजार एक्सपोज़र के संबंध में विभिन्न विवरणियां प्रस्तुत करनी होती हैं। यह निर्णय लिया गया है कि रिपोर्टिंग प्रणाली को सुचारु बनाने और डाटा एकत्र करने की वर्तमान विधि में सुधार लाने के लिए विवरणियों को युक्तिसंगत बनाया जाए। अब बैंक ने संशोधित विवरणियों का फार्मेट बैंक की वेबसाइट https://cosmos.rbi.org.in पर रख दिया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सभी विवरणियां संशोधित फार्मेट में ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगी।

10. बैंकों में ग्राहक सेवा

3.85 रिज़र्व बैंक सूचना के उच्च प्रसार के माध्यम से ग्राहक सशक्तिकरण पर ध्यान देता है। ग्राहकों को और अधिक कुशल तथा पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, 2010-11 में कई प्रकार की पहल की गई।

क्रेडिट कार्ड सेवाएं

3.86 चूंकि बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों के बारे में बहुत सी शिकायतें हैं, इसलिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि क्रेडिट कार्ड के संबंध में 1जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। इन दिशानिर्देशों का पालन न करने पर संबंधित सांविधिक उपबंधों के अधीन मौद्रिक दंड लगाने सहित यथोचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

एटीएम सेवाओं के लिए आनलाइन अलर्ट

3.87 रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि एटीएम से धोखाधड़ी करके धन आहरण के मामलों में हुई वृद्धि को देखते हुए, विभिन्न माध्यमों से, चाहे राशि कुछ भी हो, सभी प्रकार के लेनदेनों के लिए कार्डधारकों को 30 जून, 2011 तक आनलाइन अलर्ट भेजने के संबंध में एक प्रणाली स्थापित करें। इसके अतिरिक्त, बैकों को सूचित किया गया है कि एटीएम से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए सभी एटीएम स्थलों पर शिकायत के टैम्प्लेट उपलब्ध कराएं।

तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली (एनईएफटी) सेवाएं

3.88 आरटीजीएस से संबंधित ग्राहकों की शिकायतें दूर करना सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एनईएफटी तथा आरटीजीएस की शिकायतों के संबंध में स्थापित विद्यमान ग्राहक सुविधा केंद्रों का उपयोग करें। आरटीजीएस/ एनईएफटी रिटर्न लेनदेनों के सुविधाजनक मिलान हेतु बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रिटर्न लेनदेनों के बारे में ग्राहकों की लेखा विवरणी में आवश्यक जानकारी दें। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ग्राहकों की पासबुक अथवा लेखा विवरणियों में एनईएफटी/ नैशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस)/ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) के जरिए प्राप्त हुई जमा प्रविष्टियों में प्रेषणकर्ता का विवरण दें।

चेक ड्रॉप - बाक्स सेवाएं

3.89 काउंटर पर दिए गए चेकों के लिए ग्राहकों को पावती देने से बैंकों द्वारा इनकार करने की शिकायतों को देखते हुए, जिसके कारण उन्हें चेक जबरन ड्राप बाक्स में डालने पड़ते हैं, बैंकों को सूचित किया गया है कि चेक ड्राप बॉक्स सुविधा के बारे में वर्तमान अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि कोई भी शाखा काउंटर पर चेक स्वीकार करने से मना न करे और यथोचित पावती दे।

ऋण सेवाएं

3.90 निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, बैंकों को सूचित किया गया है कि 'आल इन कास्ट' बताएं, जिसमें आवेदन पर कार्रवाई करने और ऋणों की मंजूरी की संबंध में सभी प्रभार शामिल हों ताकि ग्राहक वित्त के दूसरे स्रोतों से प्रभारों की तुलना कर सकें। बैंक यह सुनिश्चित करें कि ये प्रभार भेदभावपूर्ण न हों।

बैंकों में ग्राहक सेवा पर समिति

3.91 रिज़र्व बैंक ने बैंकों में ग्राहक सेवा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियां बाक्स III.2 में दी गई हैं।

ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण : एटीएम लेनदेन

3.92 देश में एटीएम के प्रयोग के बारे में ग्राहक संतुष्टि का आकलन करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक सर्वेक्षण आयोजित किया। सर्वेक्षण में देश में कुल 60,000 एटीएम के 1 प्रतिशत को कवर करते हुए आनुपातिक रूप से मैट्रो, शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 600 एटीएम शामिल थे। अंतरिम रिपोर्ट जून 2011 में भुगतान और निगरानी प्रणाली बोर्ड को प्रस्तुत की गई। अन्य बातों के साथ-साथ सर्वेक्षण की मुख्य बातें थी : i) मुख्यतया कार्ड नकदी निकालने या खरीदारी के लिए प्रयोग किए गए; ii) बिलों के भुगतान/ टिकट खरीदने के लिए कार्ड का प्रयोग अभी भी कम है iii) खरीदारी के लिए कार्ड का प्रयोग महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक था। ; iv) युवाओं में खरीदारी के लिए कार्ड का प्रयोग अधिक था; v) महिलाओं ने कार्ड का प्रयोग कम किया।

उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की रजत जयंती वर्ष

3.93 वर्ष 2010-11 उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम,1986 का रजत जयंती वर्ष था। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित समारोहों के लिए थीम, था ''उपभोक्ता अपने उत्तरदायित्व निभाएं / अपने अधिकार जाने''। इस अवसर पर उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा लिखी ' कन्ज्म्यूमर प्रोटैक्शन इन इंडिया' नामक पुस्तक दिसंबर 2011 में जारी करेगी।

ग्राहक सेवा के बारे में विशेष बोर्ड बैठकें

3.94 बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्दों के पर्यवेक्षण के संबंध में बोर्ड पर्यवेक्षण बढ़ाने के लिए 2010-11 के लिए मौद्रिक नीति के वार्षिक वक्तव्य में घोषणा की गई थी कि इन मुद्दों पर चर्चा के लिए छह महीने में एक बार बोर्ड इस बात पर पूरी तरह से चर्चा करें। सभी बैंक, निदेशक मंडल को प्रत्येक छह महीने में एक बार ग्राहक सेवाओं के बारे में विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करेंग, और जहां गुणवत्ता और कौशल में कमियां पाई जाती हैं, वहां तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।

11.वित्तीय बाजार

आनलाइन भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) दिशानिर्देशों का पालन

3.95 आनलाइन पेमैंट गेटवे ई कामर्स के लिए लोकप्रिय साधन के रूप में सामने आए और उन्होंने निर्यात को सुविधाजनक बनाया है विशेषकर छोटे मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं के लिए। रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2010 में प्राधिकृत व्यापारियों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसके द्वारा कुछ शर्तों के अधीन वे आनलाइन पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं के साथ स्थायी व्यवस्थाएं करके निर्यात से संबंध विप्रेषणों (प्रति लेनदेन 500 यूएस डालर तक) की सुविधा दे सकते हैं। प्रति लेनदेन 500 यूएस डालर की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

बॉक्स III.2: बैंकों में ग्राहक सेवा समिति की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिटेल और छोटे ग्राहकों, जिनके अंतर्गत पेंशनभोगी भी शामिल हैं, को दी जाने वाली बैंकिंग सेवाओं की जांच करने हेतु सेबी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एम. दामोदरन की अध्यक्षता में एक समिति (दिनांक 26 मई 2010 के बोर्ड ज्ञापन के माध्यम से) का गठन किया। समिति के अधिदेश में बैंकों में मौजूद शिकायत निवारण तंत्र, उसकी संरचना और प्रभावशीलता की जांच करना तथा शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक उपाय सुझाना आदि भी शामिल है।

समिति ने संबंधित विभिन्न हितधारकों के साथ ग्राहक सेवा के सभी पहलुओं पर विचार-विनिमय किया जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ समुचित व्यवहार, पेंशनरों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार, छोटे और ग्रामीण ग्राहकों के प्रति बैंक स्टाफ की प्रवृत्ति, सेवा प्रभार और शुल्क, परिचालनों में पारदर्शिता, शिकायत निवारण, सेवा में तत्परता, नए उत्पादों का ज्ञान और जानकारी, एवं ग्राहकों के अधिकार व प्रत्याशाएं शामिल हैं। समिति ने जनसाधारण से सुझाव भी प्राप्त किए।

समिति ने जुलाई 2011 में बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के अनुसार ग्राहक बैंकों से निम्नलिखित प्रमुख अपेक्षाएं रखते हैं : (i) ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण हो; (ii) समुचित और गैर-शोषणकारी बर्ताव तथा सूचना का संपूर्ण प्रकटीकरण; (iii) एक त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था हो; (iv) ग्राहक द्वारा मांग किए बिना स्वयं ही अनेक सेवाएं देकर उन पर प्रभार लगाने के बजाय एक सीधा-साधा जमा खाता उपलब्ध कराया जाए।

इस समिति की सिफारिशें ग्राहकों की उपर्युक्त अपेक्षाओं पर आधारित हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं : (i) एक शुल्क रहित सामान्य बैंक कॉल नंबर उपलब्ध कराना; (ii) बिना किसी न्यूनतम शेष-राशि के एक सीधा-साधा बचत खाता मुहैया कराना; (iii) एक ऐसे विश्वसनीय तीसरी पार्टी केवाईसी डेटा बैंक की स्थापना करना, जिस पर केवाईसी प्रयोजनों के संबंध में निर्भर किया जा सके; (iv) वाजिब मूल्य पर कम राशि के धन के प्रेषण की व्यवस्था उपलब्ध कराना; (v) एटीएम और ऑनलाइन लेनदेनों में होने वाली हानि के संबंध में शून्य देयता; (vi) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कवर को 5,00,000 रुपये तक बढ़ाना।

ओटीसी विदेशी मुद्रा डैरिवेटिव

3.96 ओटीसी विदेशी मुद्रा डैरिवेटिव और पण्य मूल्यों तथा मालभाड़े जोखिमों की विदेशी हैजिंग के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश 28 दिसंबर 2010 को जारी किए गए। अन्य बातों के साथ-साथ संशोधित दिशानिर्देशों के महत्त्वपूर्ण तत्व, जो फरवरी 2011 में प्रभावी हुए हैं : (i) एडी श्रेणी बैंक केवल प्लेन वनीला यूरोपीय क्रास करेंसी आप्शन दे सकते हैं (ii) विदेशी मुद्रा रुपये स्वैप के मामले में अंतर्निहित क्रास करेंसी आप्शन की अनुमति (iii) कुछ रक्षोपायों के अधीन, लागत कम करने की संरचना, संविदागत ऐक्सपोजर तथा पिछले निष्पादन मार्ग, दोनों के अधीन (iv) कुछ रक्षोपायों के अधीन, रुपये की देयताओं को विदेशी मुद्रा देयता में बदलने के लिए स्वैप।

कार्पोरेट बांड के लिए क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप्स (सीडीएस)प्रारंभ करना

3.97 रिज़र्व बैंक ने 2003 तथा 2007 में सीडीएस प्रारंभ करने के संबंध में प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए थे। तथापि, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में प्रतिकूल गतिविधियों को देखते हुए, अंतिम दिशानिर्देशों को जारी करने का काम आस्थगित कर दिया गया। 2009-10 की दूसरी तिमाही मौद्रिक नीति की समीक्षा में कंपनी बांड के लिए प्लेन वनीला ओटीसी तथा एकल नाम सीडीएस प्रारंभ करने के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, परिचालनगत फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने के लिए एक आंतरिक कार्यदल गठित किया गया (संयोजक : श्री आर.एन.कार)। दल द्वारा तैयार प्रारूप दिशानिर्देशों के संबंध में स्टेकधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, मई 2011 में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, दिशानिर्देशों की प्रमुख बाते हैं:

i सीडीएस की अनुमति सूचीबद्ध कंपनी बांडों, असूचीबद्ध लेकिन मूलभूत सुविधा कंपनियों के श्रेणीबद्ध बांड और मूलभूत सुविधा कंपनियों द्वारा स्थापित एसपीवी के द्वारा जारी असूचीबद्ध/ बिना श्रेणी की बांड

ii संदर्भ इकाइयां एकल विधिक निवासी इकाइयां होंगी।

iii अनुमत सहभागियों की श्रेणी निम्नानुसार होगी:

क) मार्केट मेकर्स : कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त के अधीन वाणिज्य बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों जैसे सहभागियों को प्रोटेक्शन क्रय और प्रोटेक्शन विक्रय की अनुमति दी गई है। अपने संबंधी विनियामकों का अनुमोदन प्राप्त कर लेने पर, बीमा कंपनियां और म्युच्यूअल फंड मार्केट मेकर का कार्य कर सकते हैं।

ख) प्रयोक्ता: इसमें वाणिज्य बैंक, प्राथमिक व्यापारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, म्युच्यूअल फंड, बीमा कंपनियां तथा सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं जो केवल अपने अंतर्निहित ऐक्सपोजर की सुरक्षा कर सकती हैं। अंतर्निहित ऐक्सपोजर के बिना प्रयोक्ता सीडीएस नहीं खरीद सकते और सुरक्षा केवल ऐसे अंतर्निहित जोखिम की सीमा तक ही खरीदी जा सकती है (राशि तथा अवधि दोनों में)

iv. प्रयोक्ताओं के लिए, मूर्त सैटलमेंट अनिवार्य है। मार्केट मेकर तीन में से किसी भी निपटान विधियों का चयन कर सकते हैं (मूर्त, नकदी या नीलामी सैटलमैट) बशर्ते कि सीडीसी दस्तावेज में ऐसी निपटान विधि शामिल हो।

v. सूचना देने संबंधी आवश्यकता : मार्केट मेकर्स के लिए अनिवार्य है कि डील होने के 30 मिनट के भीतर अपने सीडीएस सौदों की सूचना सीडीएस व्यापार सूचना प्लैटफॉर्म पर दें।

vi. चूंकि सीडीएस बाजारों में विभिन्न जोखिम हैं, इसलिए मार्केट मेकर्स इन जोखिमों को ध्यान में रखें और यथोचित जोखिम प्रबंधन प्रणालियां बनाएं। दिशानिर्देशों के अनुसार काउंटर पार्टी ऋण एक्सपोजर सीमाएं, पीवी01 सीमा (यील्ड में एक आधार बिंदु परिवर्तन के लिए रुपये 100 के नामिनल बांड के

मूल्य में परिवर्तन) तथा जोखिमों के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क।

12. भुगतान और निपटान प्रणाली

3.98 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मजबूत प्रौद्योगिकी आधारित भुगतान और निपटान प्रणाली संबंधी बुनियादी सुविधा स्थापित की है जिसके माध्यम से बाधारहित और दक्ष सेवा सुनिश्चित होगी। वर्ष के दौरान भुगतान और निपटान प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

पेपर समाशोधन: त्वरित चेक समाशोधन प्रणाली

3.99 गैर-माइकर समाशोधन गृहों में समाशोधन प्रक्रिया में अधिक दक्षता लाने के लिए एक उन्नत समाशोधन गृह स्वचालित पैकेज त्वरित चेक समाशोधन प्रणाली (ईसीसीएस) को लाया गया है। ईसीसीएस नेटवर्कयुक्त वातावरण, कोर बैंकिंग इंटीग्रेशन और ग्राफिक इंटरफेस कंपैटिबिलिटी के संबंध में मल्टी यूजर इनपुट्स स्वीकार करेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को इस पैकेज को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी गई है।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली

3.100 खुदरा उपभोक्ताओं को शीघ्र निधि अंतरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और साथ ही शेयर बाजार के समय से भी अनुकूलन रखने के लिए, मार्च 2010 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के अंतर्गत सप्ताह के दिन 11-घंटे निपटान और शनिवार को पांच घंटे निपटान लागू किया गया है और अब इसे 79,000 शाखाओं में लागू कर दिया गया है। इससे भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड के प्रति उपभोक्ताओं का रुझान बढ़ने की आशा है।

प्रीपेड भुगतान लिखत

3.101 प्रीपेड भुगतान लिखतों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए, अप्रैल 2009 में जारी हुए दिशानिर्देशों की नवंबर 2010 में समीक्षा करके अन्य बातों के साथ -साथ निम्नलिखित संशोधन लागू किए गए : (क) यूटिलिटी बिलों के भुगतान और यात्रा टिकटों की खरीद के लिए प्रयुक्त सेमी - क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखत के प्रयोग का विस्तार; (ख) बैंकों को एजेंटों और कारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम से सेमी - क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करने की अनुमति। इसके अलावा मोबाइल वॅलेट्स (एम-वॅलेट्स) के रूप में उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रीपेड लिखतों का अधिकतम मूल्य भी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया।

मोबाइल बैंकिंग लेनदेन

3.102 वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की दिशा में बैंकिंग टूल के रूप में मोबाइल फोनों के प्रयोग की सही क्षमता को पहचानते हुए, मोबाइल बैंकिंग का बैंक के नेतृत्व वाला माडल अपनाया गया जो मोबाइल चैनल के माध्यम से धन के अंतरण सहित बैंकिंग की सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। रिज़र्व बैंक ने मोबाइल बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने के लिए अब तक 50 बैंकों के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है। रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई को प्राधिकृत किया है कि वह मोबाइल के माध्यम से सीमलेस, त्वरित, 24X7, मोबाइल आधारित अंतर बैंक निधि अंतरण प्रणाली उपलब्ध कराएं जिसे अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा कहा जाएगा।

कार्ड आधारित लेनदेन

3.103 बैंकों द्वारा जारी कार्डों (क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड) के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, यह बात बहुत आवश्यक है कि कार्ड प्रेजेंट (सीपी) जहां आटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) में कार्ड को स्वाइप किया जाता है और पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) और कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेनों को सुरक्षित बनाया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाया गया कदम जो दुनिया भर में अनोखा है वह यह है कि कार्ड पर अनुपलब्ध जानकारी पर आधारित सभी सीएनपी लेनदेनों के संबंध में अतिरिक्त प्रमाणीकरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बैंकों को दी गई है। अप्रैल 2009 में इंटरएक्टिव वॉइस रिसपॉंस (आईवीआर) को छोड़कर बैंकों ने सीएनपी लेनदेनों के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण लागू किया और फरवरी 2011 में इसे सभी आईवीआर लेनदेनों के संबंध में लागू किया गया है। वर्तमान में यह

आदेश भारत में मर्चेंट साइटों पर किए जाने वाले लेनदेनों, जहां विदेशी मुद्रा बहिर्वाह शामिल नहीं है, पर भुगतान करने के लिए कार्ड का उपयोग करने वाले सभी लेनदेनों के संबंध में लागू होता है। इस पहल के चलते इस चैनल पर उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ा है जिसके फलस्वरूप ई-कॉमर्स लेनदेनों में होने वाली धोखाधड़ियों में काफी गिरावट आई है। रिज़र्व बैंक ने हाल ही में सभी सीपी लेनदेनों की सुरक्षा संबंधी मामलों को देखने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है; इस दल की प्रमुख सिफारिशों पर बॉक्स III.3 में चर्चा की गई हैं।

एटीएम डिलिवरी चैनल में दक्षता

3.104 ग्राहकों के लिए एटीएम की परिचालनात्मक दक्षता को बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने मई 2011 में बैंकों को अन्य बातों के साथ - साथ निम्न सूचनाएं दीं: (क) ग्राहकों की शिकायतों को निपटाने के लिए दिए जाने वाले समय को 12 कार्य दिवसों से घटाकर ग्राहक की शिकायत प्राप्त होने के बाद से सात कार्यदिवस किया जाना; (ख) किसी भी विलंब के लिए ग्राहक को 100 रुपये रोज के हिसाब से प्रतिपूरक राशि प्रदान की जानी चाहिए बशर्ते कि यह शिकायत लेनदेन की तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी कर्ता बैंक में की गई हो; (ग) एटीएम में लेनदेनों के विफल रहने से संबंधित सभी विवादों को जारीकर्ता बैंक और अधिग्राहक बैंक द्वारा केवल एटीएम सिस्टम प्रोवाइडर के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए ताकि सिस्टम प्रोवाइडर के विवाद निपटान तंत्र के बाहर द्विपक्षीय निपटान प्रबंधन की कोई संभावना ही न रह जाए। इस उपाय के चलते जारीकर्ता बैंक और अधिग्राहक बैंक के बीच प्रतिपूर्ति की राशि के भुगतान संबंधी विवादों में कमी आएगी।

भुगतान प्रणालियों की निगरानी

3.105 इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि भुगतान प्रणाली सुरक्षित एवं सुचारु ढंग से और मौजूदा नीतिगत प्रावधानों के अनुसार चलती रहे, रिज़र्व बैंक ने आकलन की एक प्रक्रिया की शुरुआत की है जिसमें ऑफसाइट निगरानी और ऑनसाइट निरीक्षण दोनों ही शामिल हैं और साथ ही इससे बाजार आसूचना भी जुड़ी हुई है। ऑफसाइट निगरानी के रूप में विभिन्न भुगतान लिखतों केडेटाबेस, उनकी मात्रा और मूल्य सृजित किया गया है और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया है। आकलन संबंधी एक टेम्प्लेट बनाई गई है जो प्राधिकृत कंपनियों की सहायता करेगी ताकि वे स्वयं के परिचालनों, जोखिम प्रबंधन और कारोबारी निरंतरता प्रबंधों का आकलन कर सकें।

13. प्रौद्योगिकीय विकास

3.106 बैंकिंग सेवाओं के सृजन और वितरण के संबंध में प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका है। आधुनिक बैंकिंग प्रमुख रूप से प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष और सुधार पर निर्भर हैं। 2010-11 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सामान्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र की प्रौद्योगिकी में सुधार लाने और भुगतान और विशेष रूप से निपटान प्रणाली में सुधार करने के लिए कई पहलें की गईं।

कारोबारी निरंतरता प्रबंधन और आपदा राहत

3.107 वर्ष के दौरान, साझे बुनियादी ढांचे और भुगतान और निपटान प्रणालियों के संबंध में कारोबार निरंतरता प्रबंधन और आपदा राहत (डीआर) व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए

बॉक्स III.3: कार्ड उपस्थिति वाले लेनदेनों को सुरक्षित करने के संबंध में कार्यदल की सिफारिशें

कार्ड की उपस्थिति से किए गए सभी लेनदेनों के सुरक्षा उपाय हेतु सिफारिशें देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2011 को एक कार्यदल का गठन किया। कार्यदल ने 31 मई 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें कीं :(क) यूनिक की पर टर्मिनल (यूकेपीटी) और टर्मिनल लाइन एनक्रिप्शन (टीएलई) को 18-24 महीने के अंदर सुदृढ़ किया जाना चाहिए; (ख) सभी घरेलू डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए एक अतिरिक्त कारक (पर्सनल आईडेंटीफिकेशन नंबर (पिन) अथवा बायोमेट्रिक) की शुरुआत 24 महीनों के अंदर की जानी चाहिए; (ग) आधार के अंतर्गत विशिष्ट पहचान नंबर दिये जाने की स्थिति में हुई प्रगति की निगरानी के बाद एटीएम तथा बिक्री स्थलों पर पिन के स्थान पर बायोमेट्रिक फिंगर-प्रिंट का उपयोग किये जाने के विषय पर 18 माह के अंदर विचार किया जाए; (घ) उक्त सिफारिशों के आधार पर सभी घरेलू लेनदेनों में क्रेडिट तथा डेबिट कार्डों के लिए यूरो पे मास्टरकार्ड विसा (ईएमवी) चिप तथा पिन की शुरुआत करने के लिए क्रमशः पांच से सात वर्ष के अंदर निर्णय लिया जाना चाहिए; (ङ) विदेश से कम से कम एक खरीद किये जाने की स्थिति में मैगस्ट्रीप कार्डों के स्थान पर ईएमवी चिप तथा पिन जारी किये जाने चाहिए। यह रिपोर्ट जनता की टिप्पणी के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखी गई थी। कार्यदल की सिफारिशों को बैंक ने स्वीकार किया और सितंबर 2011 में निदेश जारी किये गये।

आवधिक रूप से ड्रिल की गई। इन सदस्य बैंकों ने अपनी प्राथमिक और साथ ही साथ डीआर साइट को रिज़र्व बैंक की डीआर साइट के साथ जोड़ा। वाणिज्य बैंकों द्वारा स्वयं की गई कारोबारी निरंतरता योजना (बीसीपी)- डीआर और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऐंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग (वीएपीटी) कार्रवाई की तिमाही रिपोर्ट प्राप्त की गई। इन कार्रवाइयों के दौरान पाये गये प्रमुख बिंदुओं को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाने वाली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में विश्लेषण हेतु इनपुट के रूप में लिया गया तथा रिपोर्ट में इन्हें समुचित रूप से शामिल किया गया।

आईटी विज़न दस्तावेज़ - 2011-17

3.108 एक उच्चस्तरीय समिति (अध्यक्षः डॉ. के.सी. चक्रवर्ती) ने, जिसमें आईआईटी, आईआईएम, आईडीआरबीटी, बैंकों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के सदस्य थे, रिज़र्व बैंक तथा बैंकों के लिए निदर्शनात्मक ''आईटी विज़न दस्तावेज 2011-17'' तैयार किया जो बैंकिंग क्षेत्र में आईटी के बर्धित उपयोग हेतु निदर्शनात्मक रूपरेखा के रूप में कार्य करेगा।

ऑटोमेटेड डेटा फ्लो (एडीएफ) तथा आरटीजीएस की नई पीढ़ी (एनजी-आरटीजीएस)

3.109 विनियामक रिपोर्टिंग की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार करने के लिए, बैंकों से रिज़र्व बैंक में आंकड़ों के सीधे प्रवाह (एडीएफ) संबंधी एक परियोजना को प्रारंभ की गई है। बैंकों को एक रोडमैप प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है जिसमें उन विवरणियों का उल्लेख हो जिन्हें रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत करने के लिए उनके सिस्टमों से सीधे लिया जा सकता है। आशा है कि यह परियोजना दिसंबर 2012 तक पूरी हो जाएगी।

3.110 2010-11 के वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में उल्लेख किये गये के अनुसार, आरटीजीएस की अगली पीढ़ी के कार्यान्वयन हेतु एक कार्यदल का गठन किया गया जिसमें रिज़र्व बैंक तथा चुनिंदा वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2010 में प्रस्तुत की जिसे स्वीकार किया गया। नई पीढ़ी के आरटीजीएस (एनजी-आरटीजीएस) में कार्यदल ने कई नई विशेषताओं को शामिल करने का सुझाव दिया है, जैसे कि चलनिधि प्रबंधन सुविधा का उन्नत तरीके से प्रबंध, एक्सटेंसिबल मार्क अप लैंग्वेज आधारित मैसेजिंग प्रणाली तथा तत्काल समय सूचना एवं ट्रांजैक्शन की मानीटरिंग। कार्यदल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है और एनजी-आरटीजीएस परियोजना दिसंबर 2012 तक कार्यान्वित हो जाने की आशा है।

14. बैंकिंग क्षेत्र संबंधी विधान

3.111 वर्ष के दौरान कई महत्त्वपूर्ण विधानों में बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत की गई अथवा यह कार्य पूरा किया गया जिसने बैंकिंग संबंधी कानूनों पर पुनर्विचार करने, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) के रूप में अंतर विनियामक व्यवस्था की शुरुआत करने एवं वाणिज्य बैंकों के संबंध में रिज़र्व बैंक के अधिकारों को सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त किया।

वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग(एफएसएलआरसी) का गठन

3.112 केंद्र सरकार ने मार्च 2011 में न्यायाधीश बी.एन.श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग का गठन किया ताकि भारत के वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों के अनुसार वित्तीय क्षेत्र के कानूनों, नियमों तथा विनियमों को नए सिरे से लिखा जा सके तथा विसंगतियों को दूर करके इनमें एकरूपता लाई जा सके। आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थेः (i)भारतीय वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली वैधानिक तथा विनियामक प्रणाली के ढांचे का निरीक्षण; (ii) इस बात पर विचार करना कि क्या अधीनस्थ विधानों के प्रारूप के संबंध में सार्वजनिक प्रतिसूचना को, आपातकालीन उपायों को छोड़कर, अनिवार्य किया जाना चाहिए; तथा (iii)विनियामकों पर निगरानी के सबसे उचित उपाय एवं सरकार से उनकी स्वायत्तता के बारे में विचार करना।

प्रतिभूति एवं बीमा कानून (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 2010

3.113 उक्त अधिनियम, जो 18 जून 2010 से प्रभावी हुआ, ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बीमा अधिनियम, 1938, प्रतिभूति संविदा (विनियमन)अधिनियम, 1956 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन किया। जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 में उल्लेख किया गया है ''संयुक्त तंत्र'' विषयक एक नया अध्याय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में शामिल किया गया है। इस अध्याय

में विनियामकों के बीच के मतभेदों को दूर करने के लिए एक तंत्र की व्यवस्था की गई है जिसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, पदेन उपाध्यक्ष रिज़र्व बैंक के गवर्नर एवं सदस्यों में वित्त सचिव तथा सेबी, आईआरडीए और पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्याय होते हैं। अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि संयुक्त समिति को केवल विनियामकों द्वारा कोई विषय संदर्भित किया जा सकता है न कि केंद्र सरकार द्वारा। संयुक्त समिति का निर्णय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए तथा पीएफआरडीए पर बाध्यकारी होगा।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2011

3.114 इस विधेयक द्वारा, जिसे मार्च 2011 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है ताकि रिज़र्व बैंक के विनियामक अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके और बैंकिंग कारोबार के विस्तार हेतु पूंजी जुटाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी बाजार तक पहुंच को बढ़ाया जा सके। विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ (i) राष्ट्रीयकृत बैंकों को केंद्र सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाने और घटाने की अनुमति दी गयी है ताकि वे 3,000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा में न बंधे रहें; (ii) यह सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है कि बैंकिंग कंपनी का नियंत्रण उचित और योग्य व्यक्तियों के हाथों में हो; (iii) राष्ट्रीयकृत बैंकों को दो अतिरिक्त लिखत (बोनस शेयर और राइट निर्गम) जारी करने की अनुमति दी गई है ताकि वे बैंकिंग कारोबार के विस्तार के लिए पूंजी जुटाने हेतु पूंजी बाजार में जा सकें (iv)बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 के कुछ उल्लंघनों के लिए दंड और जुर्माने की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए; तथा (v) रिज़र्व बैंक को अधिकार दिया गया है कि वह अपेक्षित आरक्षित नकदी निधि अनुपात का पालन न करने की स्थिति में दंडात्मक ब्याज लगा सकता है।

15. निष्कर्ष

3.115 इस अध्याय में 2010-11 तथा 2011-12 में बैंकिंग क्षेत्र की अब तक की नीति संबंधी प्रमुख गतिविधियों की चर्चा की गई है। नीति संबंधी ये गतिविधियां मोटे तौर पर आर्थिक बहाली, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय क्षेत्र विकास का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के प्रमुख नीतिगत लक्ष्यों के अनुरूप थीं।

3.116 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों को नये लाइसेंस देने संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप तैयार करने का महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया, साथ ही विदेशी बैंकों की उपस्थिति के संबंध में एवं बैंकों में होल्डिंग कंपनी ढांचे को बढ़ावा देने संबंधी दो चर्चा पत्र जारी किये। ये सभी प्रयास वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताओं पर विचार करते हुए वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए किये गये। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में किये गये सबसे उल्लेखनीय गतिविधियों में बैंकों द्वारा अगले तीन वर्षों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन की योजनाओं को स्वीकृत किया जाना था। अन्य महत्त्वपूर्ण नीतिगत गतिविधियों में, जिनसे बैंकिंग क्षेत्र में और सुधार का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 सहित बैंकिंग क्षेत्र के विधानों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन तथा वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग का गठन किया जाना शामिल हैं।

3.117 बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने एवं ग्राहक सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान कई उपाय किये जिनमें आरटीजीएस की नई पीढ़ी की शुरुआत किया जाना तथा बैंकों से ग्राहकों की अपेक्षाओं का विश्लेषण करने हेतु एक समिति का गठन किया जाना शामिल है। बाजार के निर्माता एवं उपयोगकर्ता के रूप में विशेष रूप से बैंकों के लिए महत्त्वपूर्ण अन्य प्रमुख नीतिगत गतिविधि में, जो आने वाले वर्षो में वित्तीय क्षेत्र के विकास को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, कारपोरेट बांडों के लिए सीडीएस की शुरुआत किया जाना है। अंत में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा शहरी सहकारी बैंकों की माली हालत एवं इनके भौगोलिक विस्तार को बढ़ाने के लिए कई विनियामक तथा विकासात्मक उपाय किये गये। एनबीएफसी क्षेत्र में किये गये प्रमुख नीतिगत उपायों में एनबीएफसी-एमएफआई तथा कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक ढांचा निर्धारित किया जाना था।

3.118 वर्ष के दौरान, मुद्रास्फीतिकारी दबावों के अंशतः बाह्य गतिविधियों के परिणामस्वरूप तथा कुछ हद तक घरेलू ढांचागत

असंतुलनों के कारण बार-बार बढ़ने के चलते नीतिगत उपाय निरंतर आधार पर करने की जरूरत पड़ी। परंतु, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते समय इस बात को ध्यान में रखना जरूरी था कि आर्थिक बहाली, जो संकट के बाद नाजुक दौर में थी, पर प्रतिकूल असर न पड़े। रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीतिकारी दबावों का सामना दीर्घावधि वृद्धि की संभावनाओं को बचाये रखने की दृष्टि से किया।

3. 119 आगे चलकर वित्तीय स्थिरता एवं वित्तीय समावेशन पर सतत ध्यान के साथ बैंकिंग क्षेत्र की नीति की निरंतर तथा सुस्थिर प्रगति से इस क्षेत्र की हालत बेहतर होगी, साथ ही इससे समावेशी बैंकिंग सुनिश्चित की जा सकेगी जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में वहनीय तथा समावेशी वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में मदद मिलेगी।